629
4/10/12

खण्ड : 5 संख्या : 14, 15, 16

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(पंचम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 15 जुलाई 1991 ई०
मंगलवार, दिनांक : 16 जुलाई 1991 ई०
बुधवार, दिनांक : 17 जुलाई 1991 ई०

कटौती प्रस्ताव (अस्वीकृत)

श्रीमती ज्योति : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि—

'इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।'

राज्य सरकार की श्रम और रोजगार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के ही माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश लाल, इसपर बोलेंगे।

श्री ओम प्रकाश लाल : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के कुछ बातों की तरफ और सरकार की नीतियों की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं यह श्रम नियोजन की संस्था या विभाग इतना अहम विभाग है कि अगर इस विभाग को सभी विभागों के सर्वोपरी मानी जाय तो हमारा बिहार प्रदेश जो एकदम पिछड़ा हुआ है और गरीब इलाका है, जहां 48 व्यक्ति प्रति मिनट पैदा होते है, उस देश में, समाज में, निश्चित रूप से श्रम विभाग की योजना एक अहम् मुद्दा है। श्रम विभाग के ऊपर इतनी चुनौती है, उसको ध्यान में रख कर काम करना होगा। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि और जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि 38 करोड़ 99 लाख रुपया दिया जाय और जिसका कटौती प्रस्ताव हमारे दल की सदस्य श्रीमती ज्योती ने रखा है, लेकिन हुजूर, अगर निश्चित रूप से वर्ष 91-92 वर्ष की योजना में, जो माननीय मंत्री ने प्रस्ताव रखा है 34 करोड़ रुपये अगर केवल गैर योजना मद

में खर्च होना है, अगर ये 34-35 करोड़ रुपया गैर-योजना मद में खर्च होता है तो बचे हुए 3-4 करोड़ रुपये से पूरे प्रदेश के विकास और मजदूरों की भलाई के लिये कैसे ये बात करेंगे। निश्चित रूप से इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए, इनकी कोई योजना नहीं है, इसलिए इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि, हम दूर की बातों में नहीं जाना चाहते है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कि थी कि हम एक लाख लोगों को नौकरी देंगे। एक लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा इन्होंने अखबारों में की, आम-सभाओं में इन्होंने कहा और यहां तक कि विधान सभा में भी ऐलान किया कि एक लाख लोगों को रोजगार मुहैया करेंगे ओर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक लाख से ज्यादा पद रिक्त है। हमारे बिहार सरकार के पास, बिहार के अन्य जगहों में ये पद रिक्त हैं, लेकिंन ये कहते है कि नियुक्ति हो रही है, इसका लेखा-जोखा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं कुल 1 लाख 14 हजार 174 रिक्तियां है हमारे प्रदेश में राज्य सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों में, एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों में जबकि केवल 33 हजार 571 रिक्तियां ही भरी गयी है, और अनुकम्पा के आधार पर अब तक केवल 1 हजार 333 लोगों की ही नियुक्ति की जा सकी है। मुख्यमंत्री महोदय, ने जो घोषणा की है कि एक लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, और अभी हमारे प्रदेश में कुल 1

लाख 14 हजार 174 रिक्तियां है तो इसमें क्या दिक्कत है। आप गैर-योजना मद में 34-35 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे है, लेकिन इन नियुक्तियों को करने में आपकों क्या परेशानी है?

अध्यक्ष महोदय, आप देंखेंगे कि शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कहा गया कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अभी तक, मैं बताता हूं इनकी संख्या आप देखेंगे तो प्रवेशिका से नीचे के 10 लाख 56 हजार लोग है, प्रवेशिकोत्तीर्ण कुल 16 लाख 12 हजार लोग है, स्नातक-4 लाख 19 हजार लोग है, स्नातकोत्तर-2 लाख 14 हजार है, अभियंता, वैज्ञानिक और डाक्टर, इनकी संख्या 1 हजार 522 है, कृषि स्नातकों की संख्या 2 हजार 222 है। कुल मिला कर 33 लाख 4 हजार 744 रिक्तियां है। इतने शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए है और इनमें से 1 लाख 14 हजार 174 रिक्तियां हैं जिसमें से केवल 29-30 हजार लोगों की बहाली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, को दूसरे कामों के लिए फूर्सत है, इस काम के लिए फूर्सत नहीं है, जबकि उन्होंने इस संबंध में घोषणाएं की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, श्रम विभाग से पूछना चाहता हूं कि इन सब बातों का जबाव मंत्री महोदय, को देना होगा।

श्रम मंत्री को जवाब देते वक्त कहना चाहिए कि इन रिक्तियों को पूरा करने में उनको क्या कठिनाई है? इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, इनकी भत्ता देने की बात थी वह भी आप नहीं दे रहे है। इनको परेशान करने का क्या औचित्य है? ऐसी स्थिति में गरीब जनता का पैसा आपको क्यों दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने, सदन के नेता ने जो घोषणा की थी उसके बारे में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे हम कुछ और बातों को रखना चाहते है। बिहार में कई तरह के प्रतिष्ठान है। एक बिहार सरकार के प्रतिष्ठान है और दूसरे केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान है। इन दोंनो प्रतिष्ठानों के बीच कितनी दूरियां है जो केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान है वहां के मजदूर को कम से कम महीने में 2 हजार से लेकर 3 हजार रुपया मिल जाता है। जो कोयला काटते है उन्हें भी तीन हजार रुपया मिलता है और अगर कोई दुर्घटना होती है तो कम्पेंशेसन भी मिलता है। दुर्घटना में यदि कोई मर जाता है तो ढाई लाख रुपया मिलता है। वही बात बिहार सरकार के जो प्रतिष्ठान है, हमारे प्रान्त में उसको देखा जाय तो पता चलेगा कि इनके मजदूरों को क्या मिलता है और इनके भविष्य के बारे में भी सोचा जाय कि उनका भविष्य कैसा होता है।

(इस अवसर पर श्री इंदर सिंह नामधारी सभापति के रूप में आसीन हुए)

सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिष्ठान चलाये जाते है और बिहार सरकार द्वारा प्रतिष्ठान चलाये जाते है लेकिन दोनों में काफी अंतर है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय इनके पास मेटेरियल्स नहीं है ।

सभापति : संसदीय कार्यमंत्री कह रहे है कि आप के पास मेटेरियल्स नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश लाल : मेटेरियल्स मेरे पास बहुत है।

मैं कह रहा था कि मजदूरों के जीवन यापन के लिए जहां संगठित यूनियन है, जहां श्रमिक नेता है जिन्होंने संगठन बनाकर रखा है वहां के मजदूरों एवं कर्मचारियों को केन्द्रीय वेतनमान मिल जाता है लेकिन दूसरी तरफ जहां इसके विपरीत जो मजदूर खेतों में काम करते है उनके लिए इनके नोटिफिकेशन के अनुसार 15 रुपया 60 पैसा मिलता है जो कोयला काटता है उसको अढ़ाई हजार रुपया मिलता है। जो मजदूर दुर्घटाग्रस्त हो जाते हैं और चोट लगने पर इनकी मृत्यु हो जाती है उसको 20-20 हजार रुपया कम्पेंशेसन दिया गया है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा चालित जो प्रतिष्ठान है वहां लाखों-लाखों रुपया कम्पेंशेसन मिलता है, ग्रेच्युटी का पेमेंट होता है लेकिन बिहार सरकार द्वारा जो प्रतिष्ठान चलाये जाते है उनकी हालत क्या है वह आप देख ही रहे है। आपने जिला में असिस्टेंट कमीश्नर लेवेल पर कार्यालय खोल रखा है और उनके बारे में कभी-भी कुछ नहीं देखा जा रहा है इसलिए अभी तक जितने कारखाने बंद है उसमें श्रमिकों के मैंडेज का नुकसान हुआ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : कम्पेशेसन पर बोल रहे हैं या अनुग्रह राशि पर बोल रहे हैं?

श्री ओम प्रकाश लाल : कम्पेंशेसन पर बोल रहा हूं। पत्थर खदान में जो लोग मारे गये उनको आपने 20-20 हजार रुपया कम्पेंशेसन दिया और मुख्यमंत्री जब अपने क्षेत्र में गये तो उन्होंने एक-एक लाख रुपया कम्पेंशेसन दिये।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : जो सर्कुलर है उसके मुताबिक अधिक राशि देने का अधिकार मुख्यमंत्री को हैं, वे दे सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश लाल : मैं नियम के विरोध में नहीं कह रहा हूं। जहां बिहार सरकार द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध है उनके बारे में मैं कह रहा हूं। केन्द्रीय सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं उनके कर्मचारियों को आपने केन्द्रीय वेतनमान दे दिया लेकिन यहां के जो श्रमिक हैं, जो खेतों में काम करते हैं उनकी मजदूरी उतनी नहीं दी जा रही है यह कितना नुकसान हो रहा है? उनके बारे में सोचना पड़ेगा। इस सरकार को देखना होगा। सामाजिक न्याय की बात यह सरकार करती है तो हमारे यहां के सैंकड़ों-सैंकड़ों, हजारों-हजार मजदूर जो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं इसको भी देखना होगा। दूसरे राज्यों में वे जाकर काम करते हैं और अपने को खुशहाल पाते हैं। हम किसी दल का नाम नहीं लेना चाहते हैं और न किसी नेता का नाम लेना चाहते हैं। खेत जोतने की बात आती है, तो वर्षों-वर्षों तक खेत बेकार पड़ा रहता है। अगर ऐसा वातारण जो बन गया है उस वातावरण को तोड़ना होगा और आज क्या हो रहा है? श्रमिकों की कमजोरियों को देखते हुए उनको खेतों में काम नहीं करने देते हैं इसका नतीजा होता है कि वे मजदूर पंजाब में जाकर काम करते हैं और मेहनत करते हैं और पैसा लेते हैं। यही कारण है कि ये मजदूर यहां उग्रवादी हो जाते हैं और मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि इनको उचित मजदूरी यहां नहीं मिलती है।

हुजूर मैं बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन कांग्रेस के जमाने में ही देने का फैसला हुआ था और उस समय 30 रुपया प्रतिमाह मिलता था इस सरकार ने अब 100 रुपया कर दिया है लेकिन 1988-89 में इन लोगों ने कितने को पेमेंट किया है? इनके पदाधिकारियों ने सजेशन दिया कि 100 रुपये महीना दिया जाय। हर विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा पेंशन भुगतान होता है। पहले जो भुगतान होता था वह मुखिया के मार्फत और ग्राम सेवक के माध्यम से होता था। जब शिकायत आयी तो निर्णय लिया गया कि इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जायेगा। अभी आठ नौ महीना में इसका भुगतान हुआ लेकिन इसमें देखा गया कि जिसको 1020 रुपया मिलने वाला था उनको 970 रुपया मिला है। उसको बाद जो पेमेंट होता है उसमें से कुछ लोग ले लेते हैं यही व्यवस्था अभी हुई है। 1020 की जगह 970 मिलता है।

इन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि दो जगहों पर अस्पताल चलते हैं। इनका एक भी अस्पताल नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। किसी अस्पताल में यह व्यवस्था नहीं है कि कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को कहां से सुविधा मिलेगी, कहां से दवा मिलेगी। इनका विभाग एक जगह भी जाकर नहीं देखता है। हमको भी सरकार में रहने का मौका मिला है।

सभापति : लाल साहब। आप समाप्त कीजिए।

श्री ओम प्रकाश लाल : एक सेंकेड और बोलने का मौका दिया जाये।

सभापति : आप बहुत सज्जन आदमी हैं। आप बोलिये।

श्री ओम प्रकाश लाल : सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह छोटानागपुर और पलामू का इलाका है। कौन-सा खनिज दुनिया में है जो छोटानागपुर में नहीं मिलता है। लेकिन कोई भी आदमी, बिड़ला हो या टाटा हो या दूसरे बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वे हमारे यहां उद्योग नहीं लगाते हैं। कोई उद्योगपति नहीं आता है। क्या कारण है कि उद्योगपति अपना व्यापार नहीं करना चाहता है। इसके बारे में सोचना होगा, समीक्षा करनी होगी और इसके लिए कौन दोषी है सरकार को उन्हें पकड़ना होगा। वर्तमान सरकार ने इन बातों की घोषणा की, हम निजी क्षेत्र को लायेंगे। तो क्यों नहीं ला रहे हैं?

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, अनुकम्पा के आधार पर के संदर्भ में हमारी सरकारी ने उत्तर दिया कि 1976 से ही सुविधा देंगे तक 1970 या 1976 के पहले के लिए क्या व्यवस्था होगी? हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि लिमिट को समाप्त कर दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश लाल : अकुम्पा के आधार पर सरकार की तरफ से आज जवाब दिया गया था। तो सभापति महोदय, बिड़ला का एक इन्डस्ट्रीज रेणूकोट में उ. प्र. में है जिसके लिए टोटल बौक्साईट वे हमारे यहां से ले जाते हैं। बौक्साईट बिहार प्रांत को छोड़ कर देश में कहीं नहीं मिलता है। हैंडिलियम को निर्देश दिया गया था कि चार साल के अंदर बिहार में अगर आपने उद्योग नहीं लगाया, बिहार के लोगों के

लिए नियोजन की व्यवस्था नहीं की तो बौक्साईट का लीज समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। टाटा को देख ही रहे हैं कि वह अपने इन्ड० को दूसरी जगह, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ले जा रहा है। इस पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अंत मैं यह कहना चाहता हूं कि आई.टी.आई. में जो एडमीशन करते हैं। ये श्रम-विभाग का शिक्षण संस्थान है। आप जानते हैं कि छोटानागपुर में 85 प्रतिशत लोग बाहर के हैं, तो 3-3, 4-4 पुश्त से रहते आ रहे हैं। वैसे लोगों को आई.टी.आई. में एडमीशन नहीं होता है। इस संबंध में सरकार का एक सर्कुलर है जो मूल निवासी होगा जिसके पास 1921 का पर्चा होगा उसी आदमी के परिवार को आई.टी.आई. में एडमीशन होगा। हम चाहते हैं कि वे लोग जो 3-3, 4-4 पुश्त से नौकरी करते आ रहे हैं, उनके बाप-दादा नौकरी करते आ रहे हैं, 1921 का पर्चा उनके पास नहीं हैं, नौकरी पर ही उनका जीवन-यापन चलता आ रहा है। वैसे लोगों को निश्चित रूप से आई.टी.आई. में एडमीशन लिया जाये। वे छात्र जो मेधावी छात्र हैं, उनके एडमीशन की व्यवस्था इनको करानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि ये बात जरूर स्पष्ट करें कि 34-35 करोड़ रुपया गैर-योजना मद में खर्च करेंगे तो केवल 4 करोड़ रुपया को कैसे जस्टीफाय करेंगे?

श्री लाल चन्द महतो : सभापति महोदय, सरकार द्वारा पेश किये गये मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रम विभाग का जो मुख्य कार्य है वह है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच जो विवाद खड़ा होता है उसको सुलझाना।

श्री रमेन्द्र कुमार : श्रम विभाग मजदूर और मालिक के बीच झगड़ा पैदा करता है। इनका यही कहना है।

श्री लाल चन्द महतो : मेरा यह कहना नहीं है।

सभापति : आप दोनों इस मामले में माहिर हैं।

श्री लाल चन्द महतो : मैं सरकार द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कह रहा था कि श्रम विभाग का जो काम है वह मजदूरों और मालिक के संबंध को मधुर बनवाना। उनके झगड़ों का निपटारा करवाना और इस संबंध में जो असहाय मजदूर हैं, बाल मजदूर हैं, महिलायें हैं, बंधुआ मजदूर हैं, और इस प्रकार जो असंगठित मजदूर हैं उन्हें सुरक्षा देना, उनको प्रोटेक्शन देना है। यह श्रम विभाग, का मुख्य काम है। मैं समझता हूं कि वर्तमान लोकप्रिय सरकार के माध्यम से बिहार के एक साल का आंकड़ा अगर देखेंगे तो सभापति महोदय यह स्पष्ट हो जायेगा कि वह सरकार इस सरकार के कार्यकाल में एक साल के दरम्यान में हड़ताले कहीं नहीं मिली होगी और अगर कहीं हड़ताल हुई भी है तो अन्य वर्षों के मुकाबिले बहुत कम हड़ताले यहां पर हुई हैं। जहां विवाद हुए भी हैं तो समझौता कराने में बिहार का श्रम मंत्रालय पूरी भूमिका के साथ पालन किया है और वार्ता के साथ समझौता कराने का काम किया है। इस प्रकार श्रम मंत्रालय की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ठीक इसी प्रकार आप जानते हैं सभापति महोदय सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी चर्चा हमारे साथी अभी कर रहे थे।

सामाजिक सुरक्षा के मामले में बिहार हिन्दुस्तान के सभी प्रांतों से आगे रहा है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कांग्रेस के और विरोधी के लोगों को भुगतान हुआ है लेकिन कई प्रांतों की सूचना मिली है उसके अनुसार उन प्रांतों में अभी तक भुगतान सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं किया गया है। यह बिहार पहला राज्य है जहां सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लोगों को 100 रुपये के हिसाब से भुगतान हुआ है 30 रुपये की जगह यहां 100 रुपया कर दिया गया। आप जानते ही है कि इसमें पहले कितना भ्रष्टाचार था। कर्मचारी से लेकर बी.डी.ओ. के दफ्तर तक किस प्रकार गरीबों का पैसा लूटा जाता था। 30 रुपये की जगह लोगों को 20 रुपया भी नहीं मिल पाता था।

अभी तो ये कबूल कर रहे हैं कि हमारे समय में, हमारी सरकार के समय में, लोकप्रिय सरकार के समय में 5 रुपया लगता है कमीशन का और 95 रुपया मिल रहा है–इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहद यह सरकार आगे आई है, यह सभी प्रान्तों से अग्रणी है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से सभापति महोदय, हमारी सरकार जब दिल्ली में थी, जब श्री वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में बर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट संबंधी बिल पेश किये थे, लेकिन देश के तमाम पूंजीपतियों ने साजिश करके सरकार को गिराने का काम किया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा न्याय में, जनता दल की सरकार जो बिहार में है, हम आगे हैं, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

ठीक उसी प्रकार जो हमारी सरकार है, जितने भी बड़े कल-कारखाने हैं बिहार में, सभी को खुलवाने की कोशिश कर रही है, और उस दिशा में हमारी सरकार को सफलता भी मिली है। आप जानते हैं, सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां जपला सीमेंट फैक्ट्री को खुलवाने की कोशिश की गई, पलामू में एक सीमेंट फैक्ट्री को खोलवाने की कोशिश की गयी, वह खुला भी और अभी चल रहा है। इसी तरह से रोहतास उद्योग को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी सरकार, जनता दल की सरकार हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही सशक्त तरीके से श्रमिक के हित में, मजदूरों के हित में कार्य कर रही है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

ठीक उसी प्रकार मिनिमम वेजेज एक्ट के बारे में, श्रम मंत्रालय का जो बिल है। आज न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को मिल रहा है चाहे कोई भी कारखाना हो, चाहे छोटा कारखाना हो, चाहे बड़ा कारखाना हो—आज मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो रहा है जो पहले आप (कांग्रेस) नहीं करते थे, आज हम वह कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी नहीं दिये जाने संबंधी 350 केस मैनेजमेंट के खिलाफ दायर किये गये हैं, सरकार के माध्यम से इस प्रकार यह सरकार बहुत ही लोकप्रिय ढंग से कार्य कर रही है श्रम विभाग के माध्यम से इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं श्रम मंत्री को, बिहार सरकार को।

आप जानते हैं बिहार में डी.भी.सी का प्रतिष्ठान है, दामोदर भैली कॉरपोरेशन का अधिकतर प्रतिष्ठान बिहार में

ही है चाहे वह चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे बोकारो थर्मल पावर स्टेशन हो, चाहे मैथन थर्मल पावर स्टेशन हो, इनके सारे प्रतिष्ठान बिहार में है, लेकिन इनका कार्यालय कलकता में है, सारी नियुक्ति कलकता कार्यालय से होती है, बंगाल के लोगों की नियुक्ति करके बिहार में भेजे जाते हैं, यह बिहार सरकार का कर्तव्य था, बिहार सरकार को यह देखना था....

श्री त्रिवेणी तिवारी : सभापति महोदय, मैं प्वायंट ऑफ इनफॉरमेशन पर खड़ा हूं। हमारे माननीय मित्र श्री लाल चन्द महतो, जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष भी है, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होता है या नहीं?

श्री राजो सिंह : ये श्री लाल चन्द महतो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष नहीं है, इनके संबंधी अध्यक्ष हैं-ये अध्यक्ष नहीं है।

श्री त्रिवेणी तिवारी : मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था, माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने इसके गुमराह कर दिया। सभापति महोदय, आपको एक आदमी को वेतन दिलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी।

सभापति : इसकी चर्चा भी ये (मा. सदस्य श्री लालचन्द महतो) करेंगे।

श्री लाल चन्द महतो : मैं उसकी चर्चा करूंगा।

सभापति : माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी तिवारी का कहना है कि 'चेरिटी विन्स एट होम' यह आप खनिज विकास निगम से ही शूरू कीजिए।

श्री लाल चन्द महतो : सभापति महोदय, अभी मैं डी. भी.सी. की बात कह रहा था, डी.भी.सी. के सारे प्रतिष्ठान बिहार में, लेकिन नियुक्ति होती है कलकत्ता से।

कलकत्ता से नियुक्ति कर बिहार के सारे प्रतिष्ठानों में भेज दिए जाते हैं। बिहार सरकार को इस संबंध में भारत सरकार को विरोध पत्र लिखना चाहिए। मैं बिहार सरकार के श्रम विभाग और माननीय श्रम मंत्री को सुझाव देना चाहता हूँ कि वे लोग भारत सरकार और डी.भी.सी. के मैनेजमेंट से बातचीत करें। बिहार के बेरोजगारों की नियुक्ति बिहार में होनी चाहिये। बंगाल से नियुक्ति करके भेजने का काम बंद होना चाहिए। वर्ष 1990 में 172 लोगों की ट्रनीज के नाम पर बहाली कलकत्ता से हुई और उनलोगों को बिहार के डी.भी. सी. कार्यालय में भेजा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि चंद्रपुरा में स्थायी नेचर के काम के लिए 28 स्थाई पद हैं जिसमें ठीकेदारों के मदद से काम किया जा रहा है। उस पद के विरूद्ध स्थायी नियुक्ति का काम श्रम विभाग को करना चाहिए।

सभापति : अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री लाल चन्द महतो : सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपने पोल, सीमेंट की आपूर्त्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन डी.भी.सी. में मजदूरों का सप्लाई होता है। एजेंट लोग आदमी को मजदूर को सप्लाई करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें सरकार इन्टरफीअर करे और मजदूरों के सप्लाइ

का काम श्रम विभाग बंद करें। बिहार में डी.भी.सी. के सारे प्रतिष्ठानों में जो नियुक्ति होती है, उसके लिए बिहार में नियोजनालय का कार्यालय होना चाहिये। उसको जो हेड ऑफिस कलकत्ता में है, उसको बिहार में लाने का काम करना चाहिए। उसी प्रकार डी.भी.सी. में दो हजार तक संख्या में केजुअल लेबर हैं। ये मजदूर चंद्रपुरा, मैथन और बोकारो में हैं जो 15 वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन उनलोगों को रेगुलराईज नहीं किया गया है। जो लोकल लोग हैं, जो छोटानागपुर के हैं, उनको रेगुलराईज नहीं किया गया है बल्कि दूसरे जगहों के लोगों को रेगुलराईज कर दिया गया है।

अब मैं कोल इंडिया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है जिसकी यूनिट बी.सी.सी.एल. बिहार में कार्यरत हैं। मैनेजमेंट ट्रेनज के नाम पर कलकत्ता से बहाली की गयी और बिहार में भेज दिया गया है। इसपर बिहार सरकार को विरोध करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से विस्थापितों के संबंध में बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बिहार सरकार विस्थापितों के लिए मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। कोल इंडिया का एक यूनिट बी.सी.सी.एल. ने हजारो-हजार एकड़ जमीन अर्जित की है, लेकिन उनके परिवार को नौकरी नहीं दी है।

उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिए सरकार को उसपर दबाव डालना चाहिए।

बिहार में सड़क के किनारे जितने मोटर गैरेज हैं, उनमें छोटे-छोटे बच्चे काम करते हैं। विभाग से उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। उनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार को पहल करना चाहिए।

अब मैं कटिहार जूट मिल के बारे में कहना चाहता हूँ। उक्त मिल के 15 सौ मजदूर वर्ष 1987 से बेकार पड़े हुए हैं। वे भूखमरी के कगार पर हैं। सरकार ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हम उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आज वे भीख मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। भूख से 50 मजदूर मर चुके हैं। उनकी रक्षा के लिए सरकार को कारगार कदम उठाना चाहिए। सभापति महोदय, आप छोटानागपुर से आते हैं। क्या वहाँ के लोगों की नियुक्ति हो पाती है, चाहे क्लास थ्री या क्लास फोर में? छोटानागपरु के बेरोजगार लोगों की बहाली नहीं होती है।

इसलिए मैं सरकार से, आपके माध्यम से श्रम विभाग को को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि छोटानागपुर में जितने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ नियुक्तियां होती हैं, वहाँ आदिवासी प्रमाण पत्र डोमिसाईल सर्टिफिकेट लेकर करें, ताकि जो स्थायी वासी हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो। यही बात कहकर मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूँ एवं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

***श्री दीनानाथ पाण्डेय** : सभापति महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूँ। जबतक माननीय सदस्य श्री लालचन्द महतो सरकार में समर्थ्रन की बातें कर रहे थे,

उनकी आवाज बड़ी ठंढ़ी-ठंढ़ी थी, लेकिन हमने पाया कि जब आलोचना के लिए बढ़े, आलोचनाओं का वजन, वह समर्थन के वजन से काफी ज्यादा रहा, काफी गर्म रहा। यह स्वयं सिद्ध करता है कि इस सरकार को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। महोदय, मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा था, 1977 से लेकर आज तक का। 1977 में जनता सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आयी और आज जनता दल की सरकार हैं। महोदय मेरा श्रम विभाग से अधिक संबंध रहा है। अपने पदाधिकारियों को भी रोल, टाटा....

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : जमशेदपुर पर मैं आता हूँ टाटा पर हमला करूंगा। आप क्यों मेरी आवाज पर दुर्व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। टाटा से मिलीभगत हो गयी क्या? शांत तो रहिये। हमला होगा। आप जिसकी दलाली में भड़क रहे हैं उसपर हमला करने वाला हूँ।

सभापति : माननीय सदस्य आसन की ओर देखें।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कह रहा हूँ।

श्री रमेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य कहते हैं कि इनका संबंध श्रम विभाग से रहा है तो इनका संबंध श्रम विभाग से रहा है या टाटा से रहा है, इसके बारे में जानकारी दें।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : महोदय, श्रम विभाग से एक रिपोर्ट आयी है। इसके पेज नं. 9 में उल्लेख हुआ है।

महोदय, जनता राज्य में इस बिहार सरकार के श्रम विभाग ने पूरे देश भर में मजदूर क्षेत्र में अगुवाई की थी जब ठीका मजदूरों की स्थायीकरण हुआ था। 1970 में कानून बना था। उस कानून का नाम गलत है लेबर रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन ऐक्ट। यानी लेबर को ही एबोलिशन कर दिया गया। कांग्रेस का बनाया हुआ कानून था। हम, उनसे मजदूरों के पक्ष में कोई बात वे सोचते हैं कि नहीं, तो यही समझते हैं कि वे कभी सोचेंगे ही नहीं। वे पूंजीपतियों के प्रेमी रहे हैं, उनके साथ रहे हैं इसलिए ऐक्ट का नाम ही रख दिया क्रंट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन ऐक्ट जबकि इसके बदले में एबोलिशन ऐक्ट न रखकर एबोलिशन ऐक्ट रखा गया। पूरे देश भर में रेगुलेशन वाला पक्ष चलता रहा लेकिन हमलोगों ने भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से इसके लिए जमशेदपुर में संघर्ष किया। उसका परिणाम निकला। जनता सरकार भी एक रेसपौंसिव गवर्नमेंट थी। जब इस विषय पर सदन में मैंने चर्चा की कि भारी औद्योगिक भ्रष्टाचार चल रहा है अपने राज्य के जमशेदपुर और अन्य स्थानों में ठेका मजदूरों को ढाई सौ रुपया देकर डेढ़ हजार रुपये मासिक वेतन का काम कराया जा रहा है तो हमने भी इसपर आवाज, काफी बुलंद आवाज उठायी थी और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमान कर्पूरी ठाकुर जी ने ठेका मजदूर कल्याण समिति का निर्माण किया था। उस समिति ने विचार किया था और 7 अगस्त 79 को जमशेदपुर के नियोजकों के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय बैठक श्रमायुक्त के कार्यालय में हुई थी। महोदय, और उसमें

निर्णय लिया गया था कि जो ठेका मजदूर परमानेंट नेचर का काम करते हैं, स्थायी और सतत् प्रकृति के काम में जो लगे हुए हैं इनका स्थायीकरण होना था। यह भी तय हुआ था कि जमशेदपुर के ठेका मजदूरों के बारे में विचार हो जायेगा और जो रास्ता बनेगा वह रास्ता बिहार भर के ठेका मजदूरों के बारे में होगा। महोदय, उसके आलोक में टेल्कों के ठेका मजदूरों का स्थायीकरण हुआ, जो शेष बचे हैं उसपर संघर्ष और विाचर विनियम का रास्ता अपनाया जा रहा है। टेल्को का त्रिपक्षीय 4 फरवरी 80 को हुआ था और 28 अप्रील 80 को समझौता हो गया था और उसका कार्यान्वयन हो गया। टिस्को ठेका मजदूरों के बारे में 12 फरवरी 81 को समझौता कराने के लिए त्रिपक्षीय बैठक बुलायी गयी थी श्रमायुक्त महोदय के दफ्तर में 11 फरवरी 81 से टिस्को ठेका मजदूरों की हड़ताल....

सभापति : आप अपनी गति को बढ़ायें।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : तेज रफ्तार कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मुझे थोड़ा और अधिक समय दें क्योंकि कौमरेड लोग ठंढे हो गए हैं। जो कुछ बोलना है वह मुझे ही बोलना है।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अब दोहरा वेतन लेना छोड़ दिए हैं।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : दोहरा वेतन लिए ही नहीं है। दोहरा वेतन लेने की प्रवृत्ति कॉमरेडों, सी.पी.आई. के लोगों की हो सकती है। महोदय, देखा आपने-जब टिस्कों पर

हमला किया तो ये तुरंत खड़े हो गए माननीय सदस्य श्री रमेन्द्र कुमार जी व्यवस्था के प्रश्न को लेकर। इनकी बहुत तड़पन हो जाती है जब हम टाटा पर हमला करते हैं। मालूम नहीं इनकी क्या सांठ-गांठ हैं। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि 12 फरवरी 81 को त्रिपक्षीय वार्ता बैठक 7 अगस्त 79 के फैसले के आलोक में बुलायी गयी थी। लेकिन ठेका मजदूरों की हड़ताल 11 फरवरी 81 को हो गयी थी और उसी का बहाना लेकर टिस्को ने बैठक में भाग नहीं लिया और तब से मामला खटाई में पड़ा हुआ है। हमारा एक सिंहभूम ठेका मजदूर संघ है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और यह भारतीय मजदूर संघ से सम्बन्ध है। मैंने श्रमायुक्त महोदय को लिखा है, मैंने आयुक्त एवं संचिव श्रम विभाग को लिखा है कि वह 12 फरवरी 81 की इस स्थगित त्रिपक्षीय बैठक को शीघ्रातिशीघ्र बुलाया जाय। महोदय, मैं आपको जानकारी दूं कि अभी तक बैठक नहीं बुलायी गयी है।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, ट्रेजरी बेंच की अगली सीट में कैबिनेट मिनिस्टर को बांयी तरफ रहनी चाहिए और तब राज्य मंत्री को रहना चाहिए लेकिन अभी ऐसा नहीं है।

सभापति : राजो बाबू ने ठीक प्वायंट आउट किया है। कैबिनेट मिनिस्टर को बायीं तरफ रहना चाहिए। अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री दीनानाथ पाण्डेय : सभापति महोदय, मैं तो एक तिहाई भी नहीं बोल पाया। मुझे समय दिया जाय।

सभापति जी, जो प्रतिवेदन बांटा गया है उसके पृष्ठ-9 में कहा गया है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी नियोजन में ठेका मजदूरी प्रथा को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, मैं देखता हूँ कि श्रमायुक्त महोदय ठीक है। पहले तो 12 मंत्रियों में काम चलता था। पहले श्री वृषिण पटेल जी इस विभाग के काम को देखते थे। अभी श्री वशिष्ठ ना. सिंह जी इसके मंत्री हैं। पारीख इंजीनियरिंग एंड बॉडी बिल्डींग कं. जमशेदपुर के संबंध में कहना चाहता हूँ कि.....

सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य श्री रमेन्द्र कुमार अब बालेंगे। जितनी बातें बाकी रह गयी हैं वह रमेन्द्र जी जोड़ देंगे।

श्री दीनानाथ पाण्डे : सभापति महोदय, पांच मिनट का और समय दिया जाय।

सभापति : ठीक है, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री दीनानाथ पाण्डे : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि प्रतिवेदन के पृष्ठ-9 पर कहा गया है कि आलोच्य वर्ष में किसी भी नियोजन में ठेका मजदूरी प्रथाा को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है किन्तु बिहार राज्य ठेका मजदूर परामर्शदातृ पर्षद के समक्ष निम्नलिखित प्रतिष्ठानों के नियोजनों को प्रतिषिद्ध करने के संबंध में सम्प्रति मामला विचाराधीन है यथा-पारीख इंजीनियरींग एण्ड बडी बिल्डींग कं., जमशेदपुर, इंडियन ट्यूब कं. लि., जमशेदपुर और टेल्को हार्टीकल्चर एवं नर्सरी के मजदूर सभापति महोदय, तीनों विषय जो अभी

तक विचाराधीन है उसके संबंध में कहना चाहता हूँ कि 1986 के 27 मई को हमलोगों ने इस मामले को कंट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखा था। टेल्को लि., जमशेदपुर में होर्टिकल्चर/नर्सरी विभाग का जो मामला है यह मामला जनवरी में कंट्रैक्ट लेबर एडवाइजरी में रखकर गजट नोटिफिकेशन के लिये स्वीकृत कराया। लेकिन यह अभी तक अधर में लटका हुआ है। इस पर कितनी बारी स्थल अध्ययन हुआ, मैनेजमेंट की बातें भी सुनी गयी लेकिन श्रम विभाग के मंत्री ने कभी इस पर सोचा? लॉडिपार्टमेंट ने भी दे दिया था। लेकिन अभी तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी की इच्छा का भी पता नहीं चल रहा है। मंत्री जी का टाटा में अपमानित होना पड़ा लेकिन टाटा के मजदूरों के पक्ष में इन्होंने कुछ किया हो ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ता।

सभापति जी, रोजगार के संबंध में, कल्याण के संबंध में वृद्धावथा पेंशन के संबंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वृद्धा अवस्था पेंशन योजना हमने पिछले साल दिया जमशेदपुर के विषय में वह अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। किसी को नहीं मिल रहा है 100 रुपये।

सभापति : माननीय सदस्य, पांडे जी आप कृपया बैठ जाय।

श्री दीनानाथ पाण्डे : सभापति महोदय, कल्याण का कार्यक्रम है उस संबंध में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यह सरकार एक पैसा भी पाने के लायक नहीं है। मैं माननीय

सदस्यों से आग्रह करूंगा कि श्रम विभाग के इस मांग को अस्वीकृत करें।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति जी, मैंने पांडे जी की बातें सुनी और पांडे जी ने टाटा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला।

सभापति जी, श्रम विभाग हमारा एक दुर्बल, असहाय और कमजोर विभाग है जो दुर्बल है, असहाय है, कमजोर है उसे पैसा नहीं दिया जाय, यह उचित जान नहीं पड़ता है। हमलोग दुर्बल, असहाय को कुछ न कुछ मदद करते ही रहे हैं। माननीय सदस्या, श्रीमती ज्योति ने इस पर कटौती का प्रस्ताव लाया है, कम से कम इस विभाग के तो उन्हें छोड़ देना चाहिये क्योंकि यह विभाग ही दुर्बल है, असहाय है।

सभापति जी, एक राज्यमंत्री का दांत नहीं है, उसी तरह इस विभाग का भी दांत नहीं है। न मंत्री की दांत है और न विभाग की दांत है। करे तो क्या करे विभाग? सभापति जी, सरकार बदल गयी। नयी सरकार आयी लेकिन इस विभाग का जो रवैया था, चालचलन था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हो सकता है विभाग के लोगों का यह चिंतन हो कि सरकार आयी है, जनता दल की, चली जायेगी, इसलिये चाल चलन में क्यों परिवर्तन करें और मंत्री जी बेचारे नये हैं। इनको चालचलन की बात जल्दी समझ में आती नहीं।

सभापति : मंत्री बेचारे नहीं होते।

(शोरगुल)

क्या मंत्रियों के सामने कोई चारा नहीं है।

श्री रमेन्द्र कुमार : बिहार में जनता दल की सरकारे बनी। श्रम विभाग ने जनता दल की सरकार बनने के बाद जो राज्य स्तरीय कमिटीज बनायी हैं, उन कमिटीज में इंटक का बोलबाला बहुत बढ़ गया है।

श्री दीनानाथ पांडे : बिहार में भारतीय मजदूर संगठन एक नंबर पर है।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति जी, आप देखेंगे कि यहां इंडिपेडेंट बोर्ड है। इसमें इंटक के चार, पी.एल.एम.एस. के तीन और बाकी सेंट्रल आर्गनाइजेशन के एक-एक हैं।

श्री ओम प्रकाश लाल : पी.एल.एम.एस. एक नंबर पर है। इसको सरकार ने और रमेन्द्र बाबू ने स्वीकार किया है। केवल पांडे जी कहना चाहता हैं कि भारतीय मजदूर संगठन ही एक नंबर पर है, तो इसमें किसी को क्या कहना हो सकता है?

श्री रमेन्द्र कुमार : यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट बोर्ड का गठन हुआ 28 जुलाई, 90 को उसमें इंटक के 7 सदस्य हैं तथा ऐटक के एक सदस्य हैं। उसी तरह से कंट्रैक्टर लेबर ऐडवाईजरी बोर्ड को देखेंगे तो उसमें ऐटक का एकभी सदस्य नहीं है, जो भी है, इंटक के ही हैं।

(शोरगुल)

श्रम विभाग की जो पुरानी नीति है, सरकार बदल जाने के बावजूद भी उन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये सरकार से कहना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय समिति का जो

भी गठन यह करती है वह मेम्बरशीप के आधार पर करें, या सेंट्रल आर्गनाईजेशन के जो मेम्बर हैं उसके आधार पर किये जांय या बराबर-बराबर का दिया जाय या फिर सबसे बात करके गठन किया जाय। किसी का आठ रहेगा, किसी का एक भी नहीं रहेगा तो यह बड़े तकलीफ की बात है। हमारा एक ही मेम्बर बोर्ड में है।

श्री राजो सिंह : सभापति जी, मंत्री महोदय को कह दिया जाय कि वे इनकी सलाह नहीं माने। एक बार तो धोखा दिल्ली में खा चुके हैं।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : उनकी सलाह लेने के बाद राजो बाबू से परामर्श ले लेंगे।

श्री रमेन्द्र कुमार : चाल-चलन पुराना है और राजो बाबू चाल में परिवर्तन होने नहीं देना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं फिर मैं न चला आऊं। बिहार की जनता ने इनको चुनाव में बता दिया है कि यह आने वाले नहीं।

सभापति महोदय, तो मैं कह रहा था कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में निणर्य हुआ था कि जब 50 प्वायंट सूचकांक बढ़ जाए तो रिविजन किया जाय। आप देखेंगे बिहार में हैंडलूम का बिजली का रिविजन हुआ, वेज रिविजन हुआ 8.11, पर अभी इन्डेक्स है 9.55 और इस तरह 1.44 प्वायंट इन्डेक्स इन्क्रीज कर गया लेकिन न्यूनतम मजदूरी का रिविजन नहीं हुआ। सभापति महोदय, मंत्रीजी तो पान खाते-खाते औंघ रहे हैं, इनको क्या बुझायेगा कि न्यूनतम मजदूरी का रिविजन क्या चीज है? उसी तरह, मैं कहना चाहता हूं कि

दूकान, प्रतिष्ठान का रिविजन हुआ था, वह बहुत पुराना हो गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुआ था 8.11 पर रिविजन होगा, वह लागू होगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, लाला जी ने तो नहीं किया, शायद सिंह जी तो करें।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्वायंट है कि बिहार राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड ने 15.6.90 को एक निर्णय लिया और उसके अनुसार तीन पैसा पर प्वायंट महंगाई भत्ता में वृद्धि का, और यह लागू होता था अक्तूबर 90 से। यह असंगठित मजदूरों को मिलना था। परन्तु अभी तक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी नहीं की क्योंकि संचिका वित्त विभाग में चली गयी है। इसको वित्त विभाग से क्या लेना-देना है। जब मैंने पता लगाया तो पता लगा कि अगर इसमें बढ़ोत्तरी हो जाती है तो सरकार का जो ठीकेदारी चलता है, उसमें भी लागू हो जायेगी, इसीलिए यह बढ़ोत्तरी नहीं किया जाए। वित्त विभाग संचिका रोके हुए है और वित्त विभाग में जब किसी का नहीं चलता है तो मंत्रीजी का क्या चलेगा और इसीलिए इसका रिविजन नहीं हुआ और मंहगाई भत्ता का रिविजन नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो डिसिजन है उसको लागू करने के लिए आग्रह है कि आप अधिसूचना को जारी करें।

इसी तरह से सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि तीन-चार उद्योग ऐसे हैं जो शेडयुल इन्डस्ट्रीज में नहीं आते हैं जिनका कोई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है। जैसे, ह्यूम पाइप उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, फाउन्डरी उद्योग।

हमारी सूचना है कि शेड्यूल इन्डस्ट्रीज में इनकी गिनती नहीं है, इसलिए आप अधिसूचना जारी कर इसको भी शेडयूल इंडिस्ट्रीज में लें। दूसरी बात, महोदय, बिहार में बराबर जितने भी स्ट्राइक्स हुए हैं। चाहे वह हटिया का हो, चाहे वह दूसरी जगहों का स्ट्राइक हो, उसमें एक ही बिन्दु रहा है बिहार में यह परिपाटी रही है कि समझौता करेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, जबकि दिल्ली में जितने प्रतिष्ठान हैं केन्द्रीय सरकार के, उनमें चाहे भेल हो या कोई हो, उसमें है कि सभी केन्द्रीय संगठन के प्रतिनिधियों को मिला कर एक निगोशियेटिंग कमिटी बनेगी और बिहार का रिजल्ट क्या हुआ कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ही समझौता करेगा जबकि उसकी हालत यह है कि उसके साथ मजदूर हैं ही नहीं। रिजल्ट हुआ कि हटिया में स्ट्राइक हुआ और दूसरी जगहों में स्ट्राइक हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस रिकॉग्निंशन का धंधा आप बंद कीजिए। अगर कहीं पर वेज रिविजन करना है तो हेल्दी परिपाटी यह होगी, मजदूरों के लिए समझौता होगा इसलिए मेरा कहना है कि जब सरकार बन सकती है बोर्ड से और चल सकती है, तब रिकॉग्नीशन का मामला क्यों करते हैं, बिहार में कानून बनाइये और रिकॉग्निशन से नहीं, बैलेट से तय कीजिए।

इस के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि वी.पी. सिंह की दिल्ली में सरकार थी और राम विलास जी श्रम मंत्री थे, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात कही। वहां पर सरकार चली गयी, लेकिन बिहार में तो जनता दल की सरकार है और उसे यहां पर वर्कर्स पार्टिसिपेशन को लागू करना चाहिए। आपका

क्या विचार है अगर आप चाहते हैं कि मजदूरों का पार्टिसिपेशन हो, उसकी भागीदारी हो तो आप कानून बनाइये और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान जहां नही होता है, वहां कानून बना कर संज्ञेय अपरोध घोषित कीजिए।

सभापति महोदय, जितने अवार्ड हुए हैं और बोर्ड के फैसले हैं, कौन नहीं लागू करता है? अगर मालिक नहीं लागू करता है तो श्रम विभाग क्यों नहीं उस पर केस करता है? केस करके मालिक को जेल में भेजें और मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करावें। मंत्रीजी सोचिए और समझिए और एक नया रूप, एक नई दिशा बिहार को दीजिए। तभी कुछ नयापन आ सकता है, चमक आ सकती है, नहीं तो वही पुरानी लकीर पर जिस पर हमलोग चलते थे, चलते रहेंगे। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री योगेश्वर गोप : सभापति महोदय, अभी श्रम विभाग द्वारा लगभग 39 करोड़ रुपये की मांग की गयी है और उनकी घोषित नीतियां हैं कि इस मांग पर 39 करोड़ का अनुमोदन हो। घोषित नीति है मजदूरों को उचित न्याय दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, मार्गदर्शन कराना, प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना, यही उद्देश्य है, लेबर डिपार्टमेंट जिसकी पूर्ति के लिए 39 करोड़ की मांग करता है। मेरा कहना होगा कि जितनी बड़ी राशि की मांग की गई है उसके लायक इनका उद्देश्य होता नहीं। वे उसे लागू नहीं करते। हुजूर, देहातों में कहावत है कि जितने का बउआ नहीं, उतने का झुनझुना। बउआ का

दाम उतना नहीं है, जितना झुनझुना का दाम है। काम तो इनसे कुछ होता नहीं है लेकिन रुपया चाहिए 39 करोड़ और इस बात पर हमने कटौती प्रस्ताव दिया था। मैं कहना चाहता हूं, ले लीजिए, न्याय दिलाने की बात। बहुत-सी बातें रमेन्द्र कुमार ने की है। हड़ताल के समझौता में उनका रौल क्या होता है, इनकी भूमिका क्या होती है। जो इनके सामने नियम हैं, उनके अनुसार क्या कोई भी हड़ताल कानूनी समझी गई है? जितनी भी हड़ताले हैं, सबों को ये गैर-कानूनी घोषित करते हैं और जो हड़ताल कराने वाले होते हैं उनके सामने इनकी पीटी-पिटाई नीतियां हैं कि मजदूर हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के मोटिभेशन से हड़ताल किया है। हड़ताल पर जब विचार करने ये बैठते हैं तो ये मालिक के पक्ष से आते हैं या मजदूरों के पक्ष से आते हैं, हमने हर मामला में देखा है, इनकी दिशा रहती है मालिकों को मदद करने की न कि मजदूरों को मदद करने की। अगर कोई मालिक इनकी बात नहीं मानता है तो ये कहते है कि हम कर ही क्या सकते हैं, हमारा काम है दोनों को बैठा कर समझौता कराना, अगर मालिक नहीं मानते हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसी कमजोरी ये दिखलाते हैं। इन कमजोरियों के साथ मजदूरों का कौन-सा लाभ ये दिला सकते हैं, हमने माननीय मंत्री के साथ साधारण मजदूरों के लिए हम बैठे हैं, बीड़ी मजदूर के लिए।

सभापति जी, बिहार शरीफ में बीड़ी मजदूर और मालिक के बीच मजदूरी एवं अन्य समस्याओं को लेकर जब मंत्री जी की अध्यक्षता में सम्मानजनक समझौता के लिये बैठके

बुलायी गई तो पाया गया कि बीड़ी मालिक बराबर मिटिंग में अनुपस्थित रहे। वार्ता में मंत्री महोदय की बात को मानने के लिये तैयार नहीं हुये। मंत्री महोदय ने कहा कि हम तो मालिक महदूरों को मिलाना चाहते हैं, लेकिन मालिक मानने को तैयार नहीं है।

होटल मजदूरों के सम्बन्ध में तो मंत्री महोदय ने स्वयं प्रेस में वक्तव्य दिया है कि होटल के मालिक मजदूरों का दमन करते हैं। उनके अधिकारों को कुचलते हैं। मुझे भी अनुभव है कि बसंत बहार के मालिक ने मजदरों की मांग नहीं मानकर बसंत बहार को बन्द ही कर दिया है। होटल मौर्या के मालिक ने भी मजदूरों की कोई बात मानने से इंकार कर दिया है। बहुत सारे बहाने बनाये गये हैं, किन्तु होटल और मजदूरों के विवाद में श्रम मंत्री या श्रम विभाग की कोई मदद मजदूरों को नहीं मिल सकी।

सभापति महोदय, ये रोजगार दिलाने की बात कहते हैं। मालिकों से रोजगार दिलाना तो दूर की बात रही, सरकारी विभागों में भी जो छंटनीग्रस्त मजदूर और कर्मचारी हैं, उनको भी ये रोजगार नहीं दे पाते हैं। मसलन लगभग पांच-छः हजार मौसमी तहसील संग्राहक 15-20 वर्षों से नियमितिकरण के लिये संघर्ष कर रहे हैं। वे बराबर छंटनीग्रस्त कर दिये जाते हैं। हाल में तो वे सबसे पहले छंटनीग्रस्त हो गये। आश्वासनों के बावजूद भी सरकार उन्हें सेवा में नहीं ले रही है। बल्कि दमन कर रही है। लगभग 2360 माली लम्बे समय से नियुक्ति के लिए धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, किन्तु वे उनकी बातों को नहीं सुनते। हाल में मुख्यमंत्री महोदय सदन

में वक्तव्य दिया है कि उन्होंने तीस पैंतीस हजार लोगों को रोजगार दिया है। याद रहे हर साल पूरे सरकारी सेवकों के बल में से तीन प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं जिनकी संख्या लगभग 30 हजार होती है। यदि डेढ़ साल में मुख्यमंत्री ने तीस पैंतीस हजार लोगों को रोजगार दे तो ये सेवानिवृत्त लोगों की संख्या के बराबर मुश्किल से हो पाता फिर उनका यह कहना कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, यह कहां तक सम्भव होगा? जहां तक नियोजनालय हैं उसमें तत्काल 30 लाख लोगों के नाम दर्ज हैं। बाहर भी लाखों लोग बेरोजगार हैं, जिनकी पूरी संख्या 80 लाख है। यह श्रम एवं नियोजन विभाग इस बड़ी फौज को कहां तक रोजगार दे पायेगा सोचने की बात है?

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि और उद्योगों की बात तो दूर रहे इनके विभाग द्वारा संचालित चर्म उद्योग जिसमें चमार जाति के हरिजन लोग ही मजदूर हैं उनकी समस्या भी बद से बदतर है। वहां के मजदूरों ने 82 दिनों तक हड़ताल अपनी मजदूरी को लेकर किया था लेकिन वहां के मैनिजिंग डायरेक्टर उनको हड़ताल अवधि का वेतन नहीं देते हैं जबकि सरकार का आदेश भी वेतन देने का हो गया है। माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे ताकि उनको वेतन मिल सके। श्री मोहन सिंह के बारे में सी.एम.डी. को मंत्री जी ने लिखा कि नियुक्ति कर ली जाय। यह पत्र जनता दल के अध्यक्ष श्री राम सुन्दर दास जी ने भी लिखा है। अगर सी.एम.डी. चाहते हैं कि इनकी नियुक्ति नहीं हो तो क्या मजाल है कि उनकी नियुक्ति हो जाय।

जहां तक शिक्षण और प्रशिक्षण की बात है कि शिक्षण और प्रशिक्षण देकर रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि लाने का काम ये करेंगे, यह भी बेईमानी है। जब अभी लाखों प्रशिक्षित लोग छंटनीग्रस्त हैं, सड़कों पर खड़ें हैं, तो फिर प्रशिक्षण देकर रोजगार की क्षमता में वृद्धि लाने से ही क्या लाभ होने को है। इसलिए सभापति जी मैं समझता हूं कि सरकार को यह 39 करोड़ की मांग को स्वीकृति सदन से दिया जाना फिजुलखर्जी के सिवा कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग का विरोध करता हूं और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं।

श्री केदारनाथ प्रसाद : माननीय सभापति जी, आज मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में और अपने सरकार के समर्थन में कुछ बातें श्रम एवं नियोजन पर कहने जा रहा हूं हम अपने तमाम माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं और आप लोगों के बीच चन्द बातों को दाबे के साथ रख रहा हूं कि आज श्रम एवं नियोजन की व्यवस्था इस देश में बिगड़ी हुई है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्यों ने बताया। साथ ही कटू सत्य को कहने में सुनने वालों को जो कठिनाई होगी इस बात के लिए निवेदन करेंगे कि अभी भी इसमें सुधार लायें ताकि बिहार के मजदूरों की समस्या का समाधान हो सके। सरकार के द्वारा जो समझौता लागू किया गया वह पूर्व की सरकार की ही देन रही है। यहां के श्रमिकों के साथ शुरू से खिलवाड़ किया गया है। हमारे सी.पी.आई. सी.पी.एम के माननीय सदस्य यूनियन चलाने में बहुत ही विश्वास करते हैं, बहुत ही आगे सूझ-बुझकर संघटन चलाते थे। उनको भी

संगठन चलाने की मानसिकता थी। आज सरकारी हुकूमत, मजदूरों और मालिकों के बीच एक समझौता का वातावरण बनाकर मजदूरों को ठगने का मूर्ख बनाने का काम करती है और इस परिस्थिति परिपार्टी में इसी सी.पी.आई. और सी.पी. एम. के लोग यूनियन में विश्वास रखते हैं। मजूदरों के लिए ये लोग अपने आपको लड़ने-मरने की बात कहते हैं। सभापति महोदय,

सच्चाई छूप नहीं सकती बनावट के असूलो से,

खूशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलो से।

कांग्रेस के आप लोगों ने चालीस वर्षों में जो काम किया है उस पर सोचना पड़ेगा। आज जो सारी कुरीतियां, गड़बड़ियां हैं वह सब आपकी देन है, आपकी पिछली सरकार की ही देन रही है, आपकी समांतवादी व्यवस्था की देन हैं, आपकी पूंजीवादी व्यवस्था की ही दे है। बिहार के मजदूर आपके ही कारण, बिहार के गांवों के किसान आज गांव छोड़कर पंजाब जाते हैं, बिहार के मजदूर गांव से भागकर देश-विदेश को जाते हैं और देश विदेश कुबैत, अरब आदि में जाकर पैसा कमाते हैं।

आप गलत ढंग से शोषण करते रहे, अपना खजाना और झोली को भरते रहें, गरीबों पर अत्याचार और दुराचार आपकी देन रही है, इसको फैलाने का काम आपकी सरकार करती रही है। आपके जमाने में सी.पी.आई. और सी.पी.एम. जब कोई संगठन बनाते थे और यूनियन चलाते थे तो उनको

आप नाता-रिस्ता बताकर और उनको झूठा लालच देकर उनसे आप समझौता करते और इस तरह से आप सबों का शोषण करते थे, यही रवैया आपकी चली आ रही है। यही कारण है कि उस समय जब आपकी सरकार कर्मचारी को बहाल करते थे, चुन-चुन कर अपने मनपसन्द कर्मचारी को रखते थे, वही लोग आपके शोषण में आपका साथ देते थे। हमारी सरकार केन्द्र में 1989 में आयी और बिहार में 1990 में राज-पाट संभाली और उसमें आमूल परिवर्तन करने का काम हमारी सारकार ने किया है। इससे आप कतराये नहीं, घबराये नहीं, भागे नहीं। माननीय सदस्य भी बोल रहे थे कि सब पिछली सरकार की देन है। हमारी सरकार जब से आयी है तब से हड़ताल नहीं हुई है। आप अपने जमाने में और हमारे जमाने में तुलना करके देखेंगे तो पायेंगे कि हमारे जमाने में हड़ताल नहीं हुई है हड़ताल हुई भी है तो वाजिव आधार पर समझौता किया गया है। मालिक और मजदूरों के बीच ईमानदारी से समझौता किया गया है, हमारी सरकार की समझौता के तरीके और नीति स्पष्ट है। हमारी सरकार बिहार के मजुदरों के समुन्नत विकास के लिये काम करने वाली है। हमारी सरकार की नीति हमेशा स्पष्ट रही है। आपकी सरकार हमेशा से श्रमिकों का शोषण करती रही है और शोषण करती रही है। हमारी सरकार की नीति के संबंध में पूर्व माननीय सदस्य ने स्पष्ट बतलाया है कि हमारी सरकार में मजदूर यूनियन के तहत मजदूरों को उठाने का काम किया जाता है लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में जो यूनियन बनती थी उसमें मालिक द्वारा मजदूरों को दबाने का काम किया जाता था।

यही कारण है कि बिहार के लोगों ने, बिहार की जनता ने, मजदूरों और किसानों ने आपको यहां से हटा दिया।

सभापति महोदय, मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों जैसा अनुभवी तो नहीं हूं, उनका अनुभव मजदूरों को शोषण करने में ज्यादा है। लेकिन हमारा अनुभव मजदूरों को विकास करने में ज्यादा है, इसीलिये माननीय सदस्य को हमारे अनुभव के संबंध में सुनना चाहिये। बिहार के मजदूरों के समुन्नत विकास के लिये, जन प्रतिनिधि होने के नाते आपको हमें सहयोग करना चाहिये। बिहार के विकास के लिये हमें प्रान्त और जिला स्तर के मजदरों को मजबूत बनाना होगा। मालिक जब तक मजदूरों का शोषण करता रहेगा, मजदूर का विकास नहीं होगा। यह सर्वविदित है कि मजदूर के वगैर मालिक नहीं बन सकता है। आपके जमाने में यह परिपार्टी रही है कि मालिक मजदूरों का शोषण करता रहा है।

सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री केदारनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, सरकार के मांग के विरोध में जो कटौती प्रस्ताव लाये गये हैं और जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में भाषण दिया है, उनकी मानसिकता स्पष्ट है। माननीय सभापति जी कटौती प्रस्ताव के विरोध में जिन लोगों ने बातें कही हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार.....

सभापति : माननीय मंत्री श्री करमचन्द भगत जी, आपने फ्लोर क्रौश किया है, इसलिये आप खेद व्यक्त करें।

श्री करमचन्द भगत : सभापति महोदय, मैं खेद व्यक्त करता हूं।

श्री केदारनाथ प्रसाद : ऐसी परिस्थिति में जो 39 करोड़ का बजट 1991-92 के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसके अन्दर कई योजनायें हैं। माननीय सदस्य श्री योगेश्वर गोप जी को इसके बारे में बतलाना चाहता हूं। यह जाहिर है कि इस योजना से हमारे मजदूर मजबूत होंगे और मालिक का नहीं चलेगा। मालिक का जब नहीं चलेगा तो कमीशनखोरी बन्द हो जोयगा। इस चीज को विपक्ष के लोग बरदास्त नहीं करेंगे, ऐसे प्रस्ताव को वे मन्जूर नहीं करेंगे।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा हैं, मजदूरों का और हिस्सा दिलाने वाले हैं, बिहार की गरीबी दूर करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री 31 मार्च 1991 के अपने भाषण में कहा था कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी कुल रिक्तियों की संख्या 1 लाख 14 हजार 174 है, जिसमें 33 हजार 571 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और 1 हजार 33 अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां की गई है। नियोजन एवं स्वनियोजन, शिक्षित बेरोजगार को स्वनियोजन, आर.ए.पी. योजना इन्डस्ट्री, सर्विस और जीवन बीमा निगम के अन्तर्गत स्वनियेाजन के अन्तर्गत कुल 1 लाख 4 हजार नियुक्तियां की बात हमारी सरकार ने कही है। कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराकर स्वनियोजित कराने जा रही है और खादी बोर्ड द्वारा 2 करोड़ रुपया उपलब्ध कराकर बेरोजगारों को स्वनियोजित कराने जा रही है। कुल

यूनिट जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी उसकी संख्या 1230 है और कुल स्वीकृत राशि 2 करोड़ 9 लाख 56 हजार 957 है वर्ष 1990-91 में। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसकी राशि मात्र 30 रुपये कांग्रेसी जमाने में थी, उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 100 रुपया कर दिया है।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति जी, आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं, आपको भी पता होगा कि पहले जब 30 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था, वह पेंशन जितने लोगों को मिलता था सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, उसमें से अब 10 प्रतिशत लोगों को भी 100 रुपये की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है....

सभापति : माननीय मंत्री इसको देखेंगे।

श्री महेन्द्र झा आजाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिये इन्हें पेनलाइज किया जाय।

श्री रामजतन सिन्हा : सभापति महोदय, सरकार ने जो कागज बांटा है, उसीको माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं।

श्री केदारनाथ प्रसाद : सभापति महोदय, मैं परोक्सी करके पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं हूं। मैं अपनी सरकार की स्पष्ट नीति बताना चाहता हूं। बंधुआ मजदूरों के कल्याण की दिशा में हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम बनायी है, उसके तहत मार्च, 1991 तक 12525 बंधुआ मजदूरों को मुक्त

कराने का काम किया गया है। देवघर और दुमका जिला में 2662 बंधुआ मजदूरों को पहचानने का काम किया गया है और उनको मुक्त किया गया है। इसी तरह से प्रवासी मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है।

श्री रामदेव वर्मा : सभापति महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के मांग के समर्थन में, मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। अभी जितनी बातें हुई हैं वे केवल अधिकांश भाग संगठित श्रमिकों के पक्ष में की गई हैं लेकिन असंगठित श्रमिकों के संबंध में कोई बाते नहीं आयी हैं। मैं असंगठित श्रमिकों की बात प्राथमिकता के आधार पर उठाना चाहता हूं। विगत चालीस सालों के अन्दर कांग्रेस के शासन-काल में असंगठित मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पायी है लेकिन जनता दल की सरकार जो बिहार में और जो लोक सभा का परिणाम आया है, जनता ने आपको जनाधार दिया है। गांव में असंगठित मजदूर 50% हैं और उन्होंने अपना समर्थन आपको दिया है लेकिन एक वर्ष के शासनकाल में आपने भी असंगठित मजदूर के लिए जो प्रक्रिया अपनायी है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस और जनता दल अपने में एक अलग रेखा नहीं बांट सके हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बीड़ी मजदूर जो गांव में रहते हैं, उनके हित के बारे में कहना चाहता हूं कि 1966 में बीड़ी मजदूरों के लिए कानून बना और उसमें परिवर्तन किया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत बीडी मजदूर को परिचय-पत्र निर्गत करने का एवं नियोजन पत्रक दिलाने का प्रावधान है। लेकिन 1966 से लेकर आजतक इस काम को न कांग्रेस ही

किया और न एक वर्ष में आपने ही किया लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात की घोषणा करें। आप बीड़ी मजदूर के हित में कोई काम करना चाहते हैं, यह एक साधारण काम है, इसको कर दें।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं गांव के कृषि मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं। बिहार में खेतीहर मजदूरों के संबंध में जो विधिवत कानून होना चाहिए, वह नहीं है और देश के पैमाने पर भी यह कानून नहीं बना है लेकिन अभी जो कानून उपलब्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कानून के तहत खेतीहर मजदूरों को अधिकार प्राप्त है? जो कानून है, उसका उल्लंघन हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं है। और सरकार द्वारा निर्माण कार्य जो जो किये जाते हैं उसमें भी जो मजदूर को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है, वह लागू नहीं हो पा रही है। इनके जो श्रम प्रवर्तक हैं, लेबर इन्सपेक्टर हैं और जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, जो गांवों के मजदूरों के हिफ़ाजत के लिए लेकिन सभापति महोदय, जब दो वर्ष से जवाहर रोजगार योजना चालू है, उसमें मजदूरों को 24 रुपया 110 मन मिट्टी काटने के लिए मजदूरी निर्धारित है लेकिन कहीं भी 15 रुपया से ज्यादा नहीं मिल रहा है। क्या श्रम प्रवर्तक ने सरकार को यह रिपोर्ट दिया कि मजदूरों को 15 रुपया दिया जा रहा है? सभापति महोदय, मैं जिला परिषद और पंचायती राज समिति की ओर से स्थल निरीक्षण किया तो मुझे जानकारी हासिल हुई कि रिपोर्ट करने पर मजदूरों को धमकी दिया जाता है। यह सरकारी निर्माण में लगे मजदूरों का हालचाल है और जो भूं-पति हैं

और मजदूरी देते उसका एक उदहरण यह है सच्चाई यह है कि हमारे यहां 1990 में एक घटना घटी। विभूतिपुर प्रखंडा के श्रम प्रवर्तक जा रहे थे तो सकरा पंचायत में वहां पर चार मजदूर मुसहर जात के काम कर रहे थे, उन्होंने मजदूरों से पूछा कि क्या मजदूरी मिलती है तो उन्होंने सीधे-सीधे बतलाया कि 1978 से हमलोग काम करते आ रहे है श्री आलोक ठाकुर के यहां 1978 में अढ़ाई रुपया मिलता था, उसके बाद पांच रुपया मिलता था और अभी छः रुपया मिलता है। लेबर इन्सपेक्टर ने कहा कि जो तुम बोल रहे हो उसको लिखकर उसपर निशान दे दो।उन्होंने निशान बनवा लिया। 6 तारिख को लेकर इन्सपेक्टर वहां गया था आर 8 तारिख को भू-पति ने उन मजदूरों पर लूट केस कर दिया। लेबर इन्सपेक्टर का अभी तक केस भी नहीं हुआ था, हमलोगों द्वारा लूट केस कर दिया और चार मजदूर जेल में बन्द हो गये। जब हमने पंचायत समिति के द्वारा रिपोर्ट मांगी कि आपने जो रिपोर्ट किया, उसका क्या परिणाम हुआ तो उन्होंने बतलाया कि लेबर डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट है। मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, इसके लिए लेबर इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट किया तो मजदूरों को फौल्स केस में फंसाया गया और थाना प्रभारी ने इसको दो महीने तक जेल में बन्द कर दिया। सी०जी०एम० ने थाना प्रभारी को एफ० आई०आर० दर्ज करने के लिए कहा तो थाना प्रभारी ने उन्हें दो महीने तक जेल में बन्द रखा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप गांव में जो असंगठित मजदूर हैं किसान है, उनका कल्याण चाहते हैं तो आजतक उनके

लिए जो कानून नहीं बन सका है तो क्या सरकार आगे की स्थिति में लेबर ऐक्ट बनाने के लिए तैयार है? जनता ने आपको ज़नाधार दिया है, वोट दिया है, कम-से-कम आप उनकी वफादारी के कुछ करें । आपने अभीतक उनके लिए कुछ नहीं किया है।

सभापति महोदय, जहांतक सवाल है कर्मचारी जीवन बीमा का बिहार राज्य को एक दसांस पैसा देना पड़ता है और केन्द्र सरकार 7/8 भाग पैसा देती है जितने कर्मचारी है, उनके बीमारी के इलाज के लिए केन्द्र सरकार से जो पैसा मिलता है, उसमें कम-से-कम आप पटना में, रांची में अस्पताल खोल सकते है।

सभापति : आपका समय हो गया है, दो मिनट और देता हूं, इसमें आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामदेव वर्मा : सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हालचाल क्या है, इसमें क्या सच्चाई है। पूर्व कानून के आधार पर जितने लोगों को पेंशन मिलता था उसका एक तिहाई हो गया है, यही स्थिति है सामाजिक सुरक्षा पेंसन की। सभापति महोदय, बिहार में अनियोजन संकेतिक भत्ता के संबंध में इनका लक्ष्य तीन लाख है और पिछले सरकार ने दो लाख लक्ष्य रखा था। इनकी उपलब्धि क्या है? तीन लाख में मात्र 77 हजार रुपया के लगभग लोगों को पेमेंट कर सके है, इसका कारण क्या है? क्या मंत्री महोदय, ने इसपर ध्यान दिया? केवल सरकारी पदाधिकारी जो है, उनके राय के आधार पर लागू किया गया। 14 अगस्त, 1981

का जो परिपत्र था, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि जो बेरोजगार है, मैट्रिक और डिप्लोमा हौल्डर हैं और जो हरिजन और अदिवासी हैं, उनको पांच साल तक बेरोजागारी भत्ता दिया जायेगा। लेकिन दिस्मंबर, 81 में इस सरकुलर में संशोधन हुआ, उसके तहत आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए मात्र एक साल रखा गया था। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, से स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आदिवासियों और हरिजनों को बेरोजगारी भत्ता देने कि स्थिति क्या है । एक दशांस लोगों को भी नहीं मिला है । इसका कारण है कि अगस्त, 81 को जो सरकुलर है, वह अवरोधक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दिसम्बर, 81 का जो लेटर है, उसको लागू करें ताकि हरिजनों और आदिवासियों को बेरोजगारी भत्ता मिल सके।

सभापति : अब आप बैठ जायें। माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्रीमति ज्योति के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य श्री लालचंद महतो जी, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के बगल से आते है और जो औधोगिक क्षेत्र है, उन्होंने डी॰वी॰सी के मजदूरों के बारे में बातें की। यह बात सही है कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय चन्द्रपुरा में 230 लोगों को सरकार के माध्यम से हमलोगों ने अस्थाई मलदूरों को स्थाई कराया। कांग्रेस के ही समय में मंत्री के जवाब को मैंने इसी हाऊस में चुनौती दी थी और उसपर आसन की तरफ से एक

समिति बनी थी, राजो बाबू, माननीय सदस्य अभी यहां पर हैं, वे भी बोलने में हिस्सा लिये थे। श्रम सचिव उस समिति के अध्यक्ष थे। आसन के द्वारा फैसला लिया गया था कि जिन-जिन विधुत तापघरों में अस्थायी मजदूर हैं उन्हें स्थायी कर दिया जाय। आसन द्वारा यह भी निदेश दिया गया था कि श्रम सचिव की अध्यक्षता में जो कमिटी स्थल पर जायेगी उसमें जो स्थानीय विधायक हों, चाहे किसी पार्टी से संबंधित हों, वे वहां जायें और अस्थाई मजदूरों को स्थाई कर दें। लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के जमाने में दिये गये आसन के आदेश के बावजूद अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मंत्री महोदय, यहां पर हैं और सचिव महोदय, भी मेरी बातों को सुन रहे है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान देकर इसको पूरा करने का कष्ट करे। जहां तक मजदूरों को सवाल है, डी०वी०सी में कार्यरत मजदूरों के साथ काफी धांधली होती है। आप जिस क्षेत्र से आते है, डालटेनगंज से वहां और हजारीबाग में डी०वी०सी० के लोग जो कार्यरत हैं उनको किस तरह से तंग किया जाता है। यह बात सही हे कि डी०वी०सी०का कार्यालय कलकत्ता में जो है उसके चलते बिहार के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं एक सनसनी खेज बात आपके माध्यम से सदन में माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं 500 टाईपिस्टों की कलकत्ता के एक कम्पनी के द्वारा बहाली हे रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सरकार के बहुत ही वरीय पदाधिकारी भी

उसमें जाते हैं और वहां से नियुक्ति होकर बिहार के लोगों पर थोपा जाता है। मैं मंत्री महोदय, से अनुरोध करूंगा कि वे बिहार की रक्षा के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठावें। ऐसे लोगों की बहाली डी०वी०सी में की जाय। जिनका नाम बिहार के इम्पलायमेंट एक्सचेंज में हो। यहां के लोगों को बहाल कीजिए। अभी कोल इंडिया के बारे में जो बात चल रही है वह सही है कि लोगों की जमीन ले ली जाती है। 3-4 साल एक जमीन यों ही पड़ी रहती है जिससे औद्योगिक संबंध बिगड़ता है, लोगों को कम्पेंशेसन नहीं मिलता है और न नौकरी ही मिलती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी जमीन गरीब किसानों की ली जाय कोयला उत्पादन करने के लिए हुं या अन्य जो परियोजनाये खोली जा रही है उसके लिए कम से कम 30 दिनों के अन्दर उसका निपटारा कर दें तो औद्योगिक शांति बनी रहेगी। उभी जो हमारे मजदूरों के प्रति वर्त्तमान सरकार का रूख है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की मंजूरी दी गई, उसके बहुत हिस्सों में काम चल रहा था। यह ठीक है कि बहुत धीरे से चला लेकिन हाल में उर्जा मंत्री जी जब सदन में अपनी मांग पेश किये थे तो मजदूर काफी चिन्तित है। मैं इसके बारे में सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर पुर्नविचार करें ओर तेनुघाट के मजदूरों को प्राइवेट मालिकों के हाथ में नहीं जाने दें। सभापति महोदय, बिहार में एकमात्र हरिजन और अदिवासी पोलेटेकनिक विद्यालय खूंटी में प्रशिक्षण देने के लिए खुला। लेकिन आप सुनकर ताज्जुब करेगें सभापति

महोदय, कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वारी दूबे के समय में उसका शिलान्यास भी हुआ, 40 लाख रुपया भी सी.सी.एल. के माध्यम से इसको बनाने के लिए दिया गया। जमीन भी इकट्ठा की गई, उसमें बाउंडरी भी दिया गया ओर वहां वाटर सप्लाई का काम भी तैयार है। लेकिन यह सरकार आते ही उस प्रशिक्षण केन्द्र को बन्द कर दिया। बिहार सरकार के माध्यम से एक प्रशिक्षण विद्यालय राम रतन उच्च विद्यालय बेरमों में चल रहा हैं वहां पर सर्वेयर के लिए, माईनिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए तथा नर्स का प्रशिक्षण चल रहा है। कोल इंडिया के अध्यक्ष ने मई दिवस के अवसर पर घोषण किये हैं कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करके सफल होंगे उनको सी.सी.एल. और कोल इंडिया में रखेंगे। लेकिन अभी तक इस पर कोल इंडिया के लोग चुपचाप हैं। इसलिए श्रम मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि बिहार सरकार के द्वारा यह संस्था चल रही है इसलिये यहां के प्रशिक्षित लोगों को कोल इंडिया, सी.सी.एल बी.सी. एल., ई.सी.एल. में नौकरी पाने का अवसर मिले। सभापति महोदय, अभी जो नौकरी के बारे में बात चल रही है, यदि बिहार को ऊँचा उठाना है तो मेरा एक सुझाव होगा कि यहां जो इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज है उसपर मंत्री जी को विशेष तौर से ध्यान देना होगा। मैं मांग करूंगा कि इसके लिए ऐसी कमिटी बने जो इम्पलायमेंट एक्सचेंज की देख-रेख करे। अभी गरीब मजदूरों को बिना 500 रु. दिये हुये इम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से नाम नहीं जाता है। यह शर्म की बात होनी चाहिए हम सबों के लिए और खास करके सरकार के लिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जिन बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया हूँ उस पर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ध्यान दें। (समाप्त)

*श्री लेबिन हेम्ब्रम : सभापति महोदय, माननीय मंत्री द्वारा जो मांग प्रस्तुत की गई है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में आज तक जो हमारे असंगठित मजदूर हैं उनका पलायन हो रहा है और खासकर हमारे संथाल परगना और छोटानागपुर के जो असंगठित मजदूर हैं वे अपनी रोजी रोटी की तलाश में आसाम, बंगाल, मिजोरम और नागालैंड जा रहे हैं। संथाल परगना और छोटानागपुर के जो असंगठित मजदूर हैं उनको बिहार सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है उन्हें नहीं मिलती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन असंगठित मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, हमारे छोटानागपुर और संथाल परगना में बहुत सारे क्रैशन मिल हैं उन क्रैशन मिलों में हजारों-हजार मजदूर काम करते हैं लेकिन मालिकों के द्वारा उनलोगों को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है और 24 घण्टा वे लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। क्रैशन मिल से धूलण हवा में उड़ता रहता है और सांस के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करता रहता है जिसके चलते बहुत सारे मजदूर टी.वी. रोग से ग्रसित हो जाते हैं और क्रैशन मिल के मालिक के द्वारा उनके प्रति अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके

माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार की तरफ से निदेश दिया जाय कि वहां के मज़दूरों को उचित मजदूरी दी जाय तथा उनके स्वास्थ्य का ख़्याल रखा जाय।

सभापति महोदय, बड़ी दुःख की बात है, कांग्रेसी हुकूमत, कांग्रेसी लोग, ये हल्ला करते रहे हैं, मजदूरों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को कहते रहे हैं कि हर हाथ को काम दिया ज़ाएगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा लेकिन अभी तक उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि थ्रेसर मिल में काम करने वाले तमाम मज़दूरों को उचित मजरदूरी दिया जाय और उनके स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखा जाय।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से, सरकार से मांग करता हूं कि हमारे संथाल परगना में तेन्दु पत्ता की कमी नहीं है। हमारे बिहार के गरीब मजदूर तेन्दु पत्ता तोड़ने के लिए सुबह घर से निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं और दूसरे दिन ठिकेदार के यहां पर पत्ते को पानी के भाव बेचते हैं जिसकी वजह से उनहं केवल 10 या 12 रुपए मजदूरी मिल पाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि संथाल परगना जैसे जगह पर छोटी बड़ी, उद्योगों की स्थापना शीघ्र करायी जाय ताकि वहां के लोगों को उचित मजदूरी और काम मिल सके।

सभापति महोदय, आपके मालूम होगा हमारे राजमहल क्षेत्र में चीनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है और वहां

पर ऐसा एक भी उद्योग नहीं हैं जिससे वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। और उन्हें शोषण से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, हमारे संथाल परगना क्षेत्र में और छोटानागपुर में जो इंम्पलायमेंट एक्सचेंज का आफिस है, उसमें हमारे लोगों को, एक्सचेंज में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। वहां पर दूसरे जगह के लोग जोकेट कर एक्सचेंज में नाम दर्ज करा लेते हैं और वहां पर जो भी छोटी-बड़ी कंपनियां हैं, उसमें लोगों को, वहां के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं हो पाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग सरकार से करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय ताकि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल सके।

सभापति महोदय, सिंहभूम में चक्रधरपुर में पचास हजार बीड़ी मजदूर हैं, उनको मुश्किल से 12 रुपया मजदूरी मिल पाती है और अभी तक उन लोगों को सरकार की ओर से जो न्यूनतम मजदूरी घोषित है, वह अभी तक नहीं मिल पायी है।

सभापति महोदय, हमारे संथाल परगना और छोटानागपुर में ऐसी छोटी-बड़ी कंपनियां हैं जहां पर बहुत सारे लोग केजूअल में काम करते हैं उनलोगों को मजदूरी तो नहीं मिल पाती है और साथ ही साथ उन लोगों को जो बोनस मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता है, पेंशन जो मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से

सरकार से मांग करना चाहूंगा कि सरकार इनसब बातों की ओर ध्यान दें।

सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

***श्री लेबिन हेम्ब्रम :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाय, आखिर गरीबों का भी जीना कोई जीना है, सर्दी हो या गर्मी पसीना ही पसीना है। इसलिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि उनको उचित मजदूरी मिले।

श्री स्वामीनाथ तिवारी : सभापति महोदय, आज कल-कारखानों में तालाबंदी हो रही है, मजदूरों की छंटनी हो रही है और बेरोजगारों की कतार लंबी होती जा रही है। यह मूल प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ फिर भी आज हम कहां खड़े हैं? आजादी के बाद से अबतक लगभग 30 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हो गए हैं बिहार सरकार के बजट में, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, क्या कारण है?

सभापति महोदय, मार्क्स ने कहा 'दुनियां के मजदूरों एक हो तो भारत में श्री दातोंपंत ठेंगड़ी ने कहा कि' मजदूरों, दुनिया को एक करो' मार्क्स ने कहा कि 'कमाने वाला खाएगा' तो श्री दातोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि 'कमाने वाला खाएगा ही नहीं खिलाएगा भी'। आज रूस में 70 वर्ष के मार्क्सवादी सिस्टम के बाद 'पेरेस्त्रोइका और ग्लोसनोस्ठ' की चर्चा शुरू हो गयी, इसका क्या कारण है? वर्ग-संघर्ष क्या है? संघर्ष के द्वारा समन्वय चलेगा? आप प्रकृति के अनुसार

चलेंगे या प्रकृति के विरूद्ध चलेंगे यह सोचना पड़ेगा? आज यह समस्या हर जगह दिखायी पड़ रही है, इसका मूल कारण क्या है? क्या हमने कभी यह सोचा है कि इसका आधार क्या होगा? हम बैठने वाले सोचते नहीं है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत नीति और नीयत की है, नीति हमने छोड़ दी है। मानवीय आधार पर इसका निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, नीयत हमारी खोटी है। आज हम पूंजीपतियों को गाली देते हैं, लेकिन चुनाव के समय किसके पास जाते हैं? यह बैठे हुए लोग संघर्ष करते हैं, हमने कहा कि ये बूथ-कैप्चरिंग और तमाम धांधलियों को जब तक बंद नहीं करेंगे, इन आदर्शवादी बातों का कोई महत्व नहीं होगा।

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति महोदय मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ। माननीय सदस्य श्री स्वामीनाथ तिवारी जी ने ठीक ही कहा, जब चुनाव आता है तो हमलोग, राजनीति पार्टी के लोग चुनाव खर्चें के लिए पूंजीपति के पास जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और इसीलिये गत लोग-सभा चुनव में बी.जे.पी. दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आयी है, जिसने सबसे अधिक खर्च की है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि इनके नेता, हवाई जहाज से घूमते थे, इनका पटना में जो ऑफिस है, वह एयरकंडिशन्ड है।

सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स्वामी नाथ तिवारी : सभापति महोदय, हमारी पार्टी खर्च करती है और उसका हिसाब-किताब माननीय सदस्य, श्री रमेन्द्र बाबू रखते हैं। ये समुद्र की गहराई तक नहीं जा सकते हैं और न समुंद्र से ऊपर ऊँचाई तक जा सकते हैं।

समुंद्र की गहराई में अगर ये जायें तो इनको सांस फूलने लगेगा और समुद्र से ऊपर ऊंचाई तक जायेंगे तो इनका पंख उड़ने लगेगा।

सभापति महोदय, जो मूल प्रश्न है, उसमें ये लोग नहीं जाना चाहते हैं। आज यहां पर असंगठित मजदूरों की बात हमलोग कर रहे हैं लेकिन बात क्या हो रही है? मूल जो प्रश्न है, उसपर बात नहीं हो रही है आज बिहार के मध्य इलाके में करीब पांच लाख एकड़ जमीन किसानों की परती पड़ी हुई है। किसानों की जमीन दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है, किसान मजदूर बनते जा रहे हैं। जिसके पास पहले पांच एकड़ जमीन थी, उसको दस वर्ष के बाद जमीन घटकर दो एकड़ जमीन हो जाती है, फिर उसके बाद उनके बच्चे होते हैं और जमीन बांटकर उनके पास कुछ नहीं रहता है और किसान मजदूर हो जाते हैं। सभापति महोदय, बिहार प्रदेश में बिहार किसान सभा का संविधान 1939 में बना, उसका पेज-1 देखा जाय। उसमें जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर हमलोगों का जाना होगा। आज मानवता का तकाजा है, मनुष्य-मनुष्य है अपने वर्ग संघर्ष कराया, इसको सभी लोगों ने देखा लेकिन समन्वय का आधार क्या है? उसपर आपने कभी चिन्तन नहीं किया। समन्वय का आधार क्या है, उसपर चिन्तन करना पड़ेगा। आज कल-कारखाने बंद हो रहे हैं, नये कल-कारखाने आप खोलवा नहीं रहे हैं आप मजदूर नेता बनते हैं लेकिन कल-कारखाने बंद करवाते हैं, मजदूरों का शोषण भी करते हैं, मजदूरों को आपस में लड़ाते हैं, यह कौन नहीं जानता है, इसको सभी लोग जानते हैं। आज मूल

प्रश्न क्या है, उसकी गहराई में जाकर हमलोगों को देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, तीस-तीस करोड़, चालीस करोड़, पचास करोड़ खर्च करके ये मशीन में जंग लगा रहे हैं। भोजपुर में एक फैक्ट्री है उसमें पांच करोड़ रुपया खर्च हो गया। मैंने इसके बारे में माननीय मंत्री से कहा कि कम से कम आप उद्योग के बारे में ध्यान दें। अररिया में आई.टी.आई. का स्कूल है, वहां के प्राचार्य का स्थानान्तरण हो गया है लेकिन उन्होंने अभी चार्ज नहीं दिया है। वे बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं, जब कि नियम के मुताबिक स्थानीय लोगों को लेना है। सभापति महोदय, आपकी लाल बत्ती जल गयी है। मै। समझ गया मैं बैठ जाता हूँ लेकिन यह लाल बत्ती मजदूरी काटने वाले नेता पर होनी चाहिए।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, मंत्री द्वारा श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित जो बजट पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस सदन में जितने सदस्यों ने कहा है उसमें उन्होंने एक ही चिन्ता व्यक्त की है कि मजदूरों पर शोषन और जुल्म हुआ है और उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है। सभापति महोदय, बहुत से ऐसे मजदूर खेतों में, खलिहानों में और जंगलों में कार्यरत हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं यही देखने की बात है। उनको उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी मिल पा रही है या नहीं इसका जिक्र नहीं हुआ। सभापति महोदय, हम और आप जानते हैं कि इस प्रदेश में खासकर झारखंड इलाके में मजदूरों की दुर्दशा, उनके बारे में किसी ने

चिन्ता व्यक्त नहीं की। सभापति महोदय, जंगलों की दुर्दशा, उनके बारे में किसी ने चिन्ता व्यक्त नहीं की। सभापति महोदय, जंगलों में, खेतों में और खासकर झारखंड एरिया में जो भी उद्योग हैं, कल कारखाने हैं उनमें कार्यरत मजदूर अभी भी असंगठित रूप में काम करते हैं और उन मजदूरों पर शोषन और जुल्म हो रहे हैं। उसको आप देखेंगे तो बड़ी ही चिन्ता होगी। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां दामोदर घाटी निगम है, फिशरीज डिपार्टमंट है तथा कोनूर डैम है, उनमें 1958 से ही लोग काम कर रहे हैं और उनके बारे में अभी भी यही कहा जाता है कि उन लोगों की सेवा 240 दिन हो जायेगी तभी उनको पर्मानेंट किया जायेगा। दामोदर घाटी निगम से पूछा जाय और फिशरिज डिर्पाटमेंट से पूछा जाय कि जब 1958 से कोई काम कर रहा है तो उनका 240 दिन कब पूरा होगा आर अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? उसी तरह से हमारे क्षेत्र में 1978 से जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि 240 दिन जब पूरा होगा तभी उनकी सेवाएं स्थायी की जायेंगीं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 1958 और 1978 से आज 1991 पहुंच गया लेकिन 240 दिन सिंचाई विभाग के दफ्तर में कितने दिनों में पूरा होगा? इसकी जानकारी मंत्री महोदय अपने जवाब में अवश्य देंगे। हमारे क्षेत्र में खासकर झारखंड इलाके में जंगल की कमी नहीं है। यहां से केंदू पत्ते, कच्चा पदार्थ दूसरी जगहों में भेजे जाते है। इसके अलावे और भी खनिज पदार्थ, पत्थर और कच्चे माल हमारे यहां उपलब्ध है अगर सरकार उन सामानों को निर्मित

करके बाहर भेजे तो मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी और सरकार को भी लाभ होगा। हमारे यहां के जंगलों में सबई घास, लाह, बांस भी प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। ये तमाम चीजें वहां है लेकिन उससे संबंधित कल कारखाने नहीं लगाये गये हैं जिससे हमारा झारखंड एरिया आज गरीब है, अत्यंत पिछड़ा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जंगल से जितने कच्चे पदार्थ बाहर जाते हैं उसको बाहर ने भेजकर उस क्षेत्र में उससे संबंधित उद्योग खड़े किये जाय तथा वहां के भोले भाले लोगों को रोजगार मुहैय्या इससे कराया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगां पर सचमुच में शोषण हुआ है, जुल्म हुआ है उस पर ध्यान दिया जाय। वहां पर जो भी शिक्षण संस्थान हैं, बहुत से गलत सर्टिफिकेट बनाकर उसमें लोग भर गये हैं। हमारे यहां महिला प्रशिक्षण विद्यालय है उसमें 80 प्रतिशत बाहर की लड़कियां का नामांकन हुआ है, स्थानीय लोगों में से सिर्फ दो लड़कियां का एडमिशन हुआ है। हजारीबाग में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय है वहां एक आदिवासी एक हरिजन और 78 लड़कियों का एडमिशन हजारीबाग जिले के बाहर का हुआ सदर हजारीबाग में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहां भी ज्यादा बाहर का एडमिशन हुआ है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आई.टी.आई. हजारीबाग में है लेकिन वहां के लड़के उस आई.टी.आई. में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इसके बारे में यही कहा जाता है कि उनका नम्बर

बहुत कम होता है और कहा जाता है कि फर्स्ट डिवीजन से पास करोगे तो एडमिशन होगा। इसलिए उनको अच्छा ट्रेड नहीं मिलता है उनको मोटर मेकेनिक का ट्रेड मिलता है। ऐसी स्थिति झारखंड एरिया में बरकरार रहेगी तो कबतक वहां के लोग इस तरह से शोषण और जुल्म का शिकार होते रहेंगे? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री अपने जवाब में इसके बारे में भी बोलेंगे। आज झारखंड एरिया की स्थिति चरमरा गयी है उसको ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय जवाब देंगे।

सभापति महोदय, हमारे झारखंड एरिया में जहां मिट्टी खोदाई का काम हाथ से होने की संभावना है वहां पर मशीन से खोदाई का काम धड़ल्ले से हो रहा है। इसके बारे में मैं कहूंगा कि मशीन से यह काम नहीं कराया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां काम हाथ से हो वहां मशीन से नहीं कराया जाय। यह मशीन भी यहां का नहीं है। रूस का मशीन है, जापान का है, इंग्लैण्ड का है और आज इन्हीं मशीनों के कारण बहुत से लोग बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। हजारीबाग के झारखंड इलाके में आज लोग सूखा से ग्रस्त है, ऐसे समय में मशीन से काम नहीं लिया जाय। टाटा और बिरला मशीनों से काम करवा रहे हैं इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि हाथ से काम कराया जाय।

***श्री माधव लाल सिंह :** सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति : समर्थन में खड़े हैं या विरोध में बोलने के लिए खड़े हैं?

श्री माधव लाल सिंह : विरोध में बोलने के लिए खड़े हैं।

हमारे यहाँ बेरमो अनुमंडल में खासकर सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर आज तक आई.टी.आई. नहीं खुला है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विन्देश्वरी दूबे ने तेनुघाट विद्युत निगम की शिलान्यास करते वक्त 26 जनवरी, 1987 में उन्होंने घोषणा की थी कि तेनुघाट में आई.टी.आई. खुलवा देंगे और उस समय के ऊर्जा सिक्रेट्री जो आजकल लेबर सचिव हैं, मुख्यमंत्री के वक्तव्य पर आज तक काम नहीं हुआ और वह घोषणा सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहां के लड़के, वहां के विस्थापित वहां के हरिजन-आदिवासी लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। चूकि वहां तेनुघाट परियोजना में जो भी बहाली होती है या हो रही है वहां पर तकनीकी लोगों की ही बहाली होगी। लेकिन हमारे यहां आई.टी.आई. नहीं है लोग शिक्षण कहां से प्राप्त करे? इलेक्ट्रीशियन, फोटर और भी बहुत से ट्रेड्स हैं, जिसकी आवश्यका वहां पर पड़ती है, मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री विन्देश्वरी दूबे ने जो 26 जनवरी 1987 को घोषणा की थी आई.टी.आई खोलवाने की वह आई.टी.आई. खोला जाए। तेनुघाट अब बोकारो जिला में चला गया है और बिहार का बोकारो सबसे बड़ा जिला है, समृद्ध जिला है और बोकारो जिला में एक भी आई.टी.आई. नहीं खुला है, इसलिए वहां पर अविलम्ब आई.टी.आई. खोलने की व्यवस्था सरकार करे।

हमारे यहां एक्सपलोसिव फैक्ट्री है जो एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री है और वहां पर मजदूर 20-25 वर्षों से कैजूएल

के रूप में काम कर रहे हैं और अभी तक उन्हें रिगूलर नहीं किया जा रहा है। आप इसी तरीके से अपने पदाधिकारियों से काम करवाईयेगा? यह कम्पनी ऐसी है जहां पर 20-25 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें रेगूलर नहीं किया जा रहा है। आपके लेबर डिपार्टमेंनट का एक सर्कूलर है कि जो 6 महीने तक काम करेगा, उन्हें रेगूलर कर दिया जाय। लालू सरकार जो खासकर हरिजन-आदिवासी, पिछड़े का विकास चाहती है, चाहती है कि इन्हें नौकरी मिले, रोजी मिले, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज सैंकड़ों मजदूर बारूद फैक्ट्री गोमिया में कैजुएल के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें रेगूलर किया जाय और जो कोयलवरी में बैरमो कटहरा चन्द्रपुरा थर्मल आदि में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। छोटानागपुर में सब कुछ है, मैं समझता हूं कि भारत में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां गोमिया एक्सपलोसिब फैक्ट्री हो, चार-चार थर्मल पावर हो, दो-दो डैम हो, चार-चार वाशरीज हो और वहां के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं हो, वे पीने के पानी के लिए तरस रहे हों । पहले के मुख्यमंत्री यदि मजबूत रहते तो अपना हक भारत सरकार से मांगते, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते तो मैं समझता हूं कि छोटानागपुर ही क्या बिहार के हर घर में एयर कन्डीशन बैठ जाता। लेकिन पहले के मुख्यमंत्री खुशामद करते रहे, अपने पद को बचाने के लिए, अपने हक केन्द्र से नहीं मांगे, इसके लिए लड़ाई नहिं लड़े, यदि वे हक के लिए लड़ते तो उन्हें अपनी गद्दी से हटने का डर था। जिसका नतीजा है कि आज हमलोग पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। पीने के लिए

शुद्ध पानी नहीं है, यह बहुत ही शर्म की बात है। हमारे मुख्यमंत्री लालू जी ने कमर कस लिया है केन्द्रीय सरकार से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए और हमलोग इनका साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे गद्दी जाए या गद्दी रहे, इसकी कोई परवाह नहीं, हक के लिए हम लड़ेंगे। हम जनता के वोट से जीते हैं, कोई बन्दूक के बल पर नहीं जीत कर आते हैं। विधान-सभा में। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो श्रम विभाग के मंत्री है वह बहुत ही ईमानदार आदमी है छोटानागपुर में लोग पीने के पानी के लिए, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उसपर ध्यान दिया जाए। एक्वेन्ज से जो नाम मांगा जाता है विभिन्न कम्पनियों और संगठनों द्वारा तो उसमें नाम किसका जायेगा? उसका जायेगा जो घूस देगा, जो गरीब घूस नहीं देगा, उसका नाम नहीं जायेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था को समाप्त कराया जाए। जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं एक्सचेंज में उनका नाम भेजा जाए। एसिस्टेन्ट लेबर कमिश्नर, डिप्यूटी लेबर कमिश्नर, सुपरीन्डेन्ट, हर ब्लॉक में लेबर इन्सपेक्टर जो मजदूरों की भलाई के लिए, मजदूरों के हक को दिलाने के लिए है, वे लोग क्या करते हैं? कोई गरीब मजदूर दर्खास्त देता है तो ऑफिसर लोग ठीकेदार के पास चले जाते हैं और ठीकेदार को दिखा देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ चिट्ठी आयी है। तुम लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, इसलिए हम तुमपर केस करेंगे, पॉकेट भर जाता है, केस चला गया, गटाल खाता में। रामदास बाबू एम.पी. थे, एक बार जा रहे थे, तेनगुघाट से, मैं भी उनके साथ था, यह 1977 की बात है। मैंने रामदास बाबू से कहा कि मजदूर लोग

काम कर रहे हैं आप उनसे पूछिये कि उन्हें उचित मजदूरी मिलती हे या नहीं, तमाम हरिजन और आदिवासी मजदूर थे। रामदास बाबू ने एक आदिवासी औरत से पूछा कि तुम्हें उचित मजदूरी मिलती है? तब वह औरत बोली कि आपका पॉकेट क्या खाली हो गया है। जब उसे कहा गया कि हम तुम्हारे प्रतिनिधि है तुम बोलो, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद वह बोली कि हमलोगों को दो रुपए और मर्द को 4 रुपए मजदूरी मिलती है। जब रामदास बाबू सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता के पास पहुंचें और बोले कि आप 3 रुपए मजदूरी 13 रुपए की जगह पर क्यों देते हैं तो रामदास बाबू एम.पी. को अधीक्षण अभियंता तेनुघाट ने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, यह मेरा ड्यूटी नहीं है, लेबर अधीक्षक सहायक लेबर कमिश्नर का यह ड्यूटी है, तीन बार रामदास बाबू को अधीक्षण अभियंता ने यही जवाब दिया। हम चुपचाप बैठे हुऐ थे, मुझे इसपर बहुत गुस्सा आया तब मैंने कहा कि साले तुम यहां क्यों बैठे हुए हो टाई लगाकर, ठीकेदारों का बोगस बिल बनाने के लिए।

सभापति : माननीय सदस्य माधो बाबू आपने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे प्रोसिडिंग्स से हटा दिया जाए। आपको जितना समय मैंने दिया है और जितना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन असंसदीय शब्द का इस्तेमाल न करें।

श्री माधो लाल सिंह : सभापति महोदय, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा बल्कि मजदूरों के लिए और समाज के जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए यह कहा। टाई लगाकर बैठे हुए हैं और मजदूरों को देखने के लिए कोई नहीं

है, उन्हें बाजिब मजदूरी नहीं मिलती है। मैंने कहा कि टाई लगाकर बैठे हैं बोगस चेक काटने के लिए। मैंने कहा कि दस दिनों के अन्दर मजदूरी नहीं मिलेगी तो काम बंद करा देंगे और तब लोगों को मजदूरी वाजिब मिलने लगी। मैं कोई बुरे ख्याल से यह नहीं बोला, यदि बोला है तो क्षमा कीजिएगा। मैं मजदूरों के हित के लिए बोला, गरीब जनता के हित के लिए बोला।

प्रेस नोट : कृपया ( ) कोष्टक अंश सभापति महोदय के आदेश से अपलोपित किया जाए।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप सभी काम को छोड़कर पूंजीपतियों जो यमराज का रूप धारण किये हुए हैं और मजदूरों को हरिजन-आदिवासियों को उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं, उस तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ हूं और तहेदिल से साथ दूंगा। कोनार नहर सिंचाई परियोजना, बनासो जिसका काम भंडारी बिल्डर्स कम्पनी कर रहा है, वहां के टेकलाल जो विधायक है, वहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दिलायी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

जय हिन्द

श्री बालिक राम : सभापति महोदय, जो कटौती-प्रस्ताव पेश किया गया, मैं इसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, विरोध में इसलिये बोल रहा हूं कि कांग्रेस शासन के 40 साल के दौरान खेतिहर मजदूरों के

लिए कुछ भी नहीं किया गया। इन लोगों ने खेतिहर मजदूरों के लिये कोई भी काम नहीं किया। बहुत लड़ाई लड़ने के लिए बाद खेतिहर मजदूरों के लिये अलग से निदेशालय का निर्माण किया गया था और यह उम्मीद की गई थी कि जो खेतिहर मजदूरों की हालत बद से बदत्तर होती चली जा रही है इसमें शायद कृषि निदेशालय सहयोग करे। लेकिन उस आशा पर भी पानी फिर गया। इनके जो कृषि निदेशालय हैं, वे सिर्फ हाथी के दांत जैसा दिखलाने के लिये हैं। बिहार में एक भी केस का निबटारा कृषि निदेशालय ने नहीं किया जिससे कि खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाई जाय। प्रखण्ड स्तर पर लेबर इन्सपेक्टर बहाल है, लेकिन वे कुछ नहीं करते हैं, वे सिर्फ अपने कार्यालय में बैठे रहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे गांव के अन्दर जायं, सर्वेक्षण करे, लोगों से पूछे कि कितनी मजदूरी मिलती है, लेकिन खेतिहर मजदूर जब उनके यहां दरखास्त देते हैं, तब वे उसका निबटारा करने के बजाय मालिको से मिलकर सौंदा तय कर लेते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कि पूरे देश के अन्दर खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न है। हमलोग बहुत पहले से मांग करते आ रहे हैं कि केन्द्र एक केन्द्रीय कानून खेतिहर मजदूरों के लिये बनाए मैं चाहूंगा, हमारे श्रम मंत्री यहां बैठे हुये हैं, ये भारत सरकार को दवाब दें कि खेतिहर मजदूरों के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाया जाय। दूसरी बात आज गांव का वातावरण इनता तनावपूर्ण हो गया है किसानों और मजदूरों के बीच तनाव है, कहीं नक्सलपंथी है, तो कहीं भूमि सेना है। लेकिन इनके जड़ में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम

मजदूरी ही है यदि खेतिहर मजदूर को न्यूनतम मजदूरो मिल जाती है तो आज देहात का वातावरण जितना अशांत है, वह शायद उतना अशांत नहीं रहता।

दूसरी ओर सभापति महोदय, हमलोग संगठित मजदूरों के लिये बहुत कुछ करते हैं, इसके लिये यूनियन है, यूनियन लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर सबसे अधिक प्रभावित के हैं जो असंगठित हैं, जो ईट भट्ठा में काम करने वाले लोग हैं, क्रेशर में काम करने वाले लोग हैं, यहां पर मजदूरों को इतना सताया जाता है सभापति महोदय, आप जानते हैं कि क्रेशर के मालिक कौन होते हे।, ईट भट्ठा के मालिक कौन होते हैं, समाज के जो गुण्डे तत्व होते हैं वे लोग ही अधिकतर क्रेशर और ईट भट्ठा का बिजनेस चलाते हैं और जो ईट भट्ठा में काम करते हैं, क्रेशर में जो काम करते हैं, आपको मौका मिला होगा तो आप ईट भट्ठा में देखा होगा कि इन लोगों के साथ कितना शोषण किया जाता है। इन्हें बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, उन्हें डराया-धमकाया जाता है, उनके साथ मार-पीट की जाती है। पिछली बार आपने सुना होगा जहानाबाद में ईट भट्ठा में काम करने वालो के साथ क्या घटना घटी थी। उनके औरतों के साथ बलात्कार किया गया, एक ईट भट्ठा मजदूर को ईट भट्ठा के अन्दर डाल दिया गया। इससे भी बड़ी घटना घटती रहती है असंगठित मजदूरों के साथ। मैं चाहूंगा मंत्री जी, ये जो असंगठित मजदूर है, उनके संबंध में कोई नीति निर्धारित करें कि क्या कारण है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती है। आपके जो प्रशासनिक तंत्र है, जो लेबर इन्सपेक्टर हैं, जो लेबर सुपरीटेंडेंट है, उनको आप शक्ति दें, वे पुलिस बल के

साथ क्रेशर पर जाय-असंगठित मजदूरों का कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिये हम चाहेंगे कि आप असंगठित मजदूरों की ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को प्रशिक्षण दिये जाते हैं आई.टी.आई. में, इस पर करोड़-करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। आई.टी.आई. से प्रशिक्षण लेकर निकलने के बाद नतीजा क्या होता है? चाहे वे वेल्डिंग का ट्रेनिंग लिये हो। अंत में लाचार होकर खेती करने के लिये मजबूर हो जाते हैं। आखिर इस पर करोड़ों रुपया क्यों खर्च किये जा रहे हैं, मुझे यह कहना है कि ट्रेनिंग के बाद जैसे ही वे ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं, इनकी नियोजन की व्यवस्था करें।

गया प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है और प्रेस में सैकड़ों तकनीकि पद रिक्त हैं। वहां ओवर टाईपर मजदूर से काम लिया जाता है और मजदूरी दी जाती है, लेकिन जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनसे काम नहीं लिया जाता है। जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, उनकी बहाली नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो रिक्त पद हैं गया प्रेस में, प्रिंटिंग और बाईडिंग कर, उसपर ट्रेन्ड लोगों की बहाली की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अम्बिका प्रसाद : सभापति महोदय, यह एक प्रश्न है जिसपर आज से नहीं वर्षों-वर्ष से बिहार विधान-सभा में विभिन्न पहलुओं पर वाद-विवाद होता रहा है और सरकार बदलती रही है, लेकिन सरकार की श्रम नीति बिहार में बदलती नहीं रही है। हर सरकार ने कहा कि हम अपनी नई

श्रम नीति तैयार करेंगे, लेकिन किसी भी सरकार ने श्रम नीति तैयार नहीं की। बिहार में पिछले डेढ़ साल से जनता दल की हुकुमत बनी है और उस हुकूमत के प्रति जिन लोगों ने अगाध विश्वास प्रगट किया है लोक-सभा चुनाव में, उस अगाध विश्वास पैदा करने में बिहार के खेतिहर-मजदूर का शत-प्रतिशत हिस्सा है और बिहार में खेतिहर-मजदूर ने लोक-सभा चुनाव में श्री लालू यादव के प्रति विश्वास प्रगट भी किया है। बिहार के खेतिहर-मजदूरों के जीवन स्तर के सुधार के लिए वर्तमान मंत्रिमंडल कोई बुनियादी कदम उठाये जैसा कि हमारे साथी श्री वालिग राम जी ने कहा कि असंगठित मजदूरों के लिए कारखाना में काम करनेवाले मजदूरों के लिए तरह-तरह के कानून बने हुए हैं, और उन कानूनों को मिल मालिक, कारखाना के मालिक या प्रबंधन उल्लंघन करते हैं, जिसके समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर मिशनरी बनी हुई है, लेकिन असंगठित मजदूरों की जिंदगी आज भी नारकीय है जिसके कारण उनके गांव के सामंती लोग पुराने जमाने के तरह उनको बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं और जब लड़ाई शुरू होती है तो गांव के सामंत खड़े हो जाते हैं। वर्तमान समय में भी और इस मंत्रिमंडल के समय में भी पुलिस उन्हीं सामंतों को साथ देती है और जोर, जुल्म और अत्याचार करती है। इसी कारण से आज बिहार में उग्रवाद पैदा हो रहे हैं। इसलिए बिहार के श्रम नीति को बदलना और खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा।

अध्यक्ष महोदय, समय की कमी है, इसलिए मैं अन्य बातों को नहीं कहकर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर

आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। बिहार में सबसे बड़ा औद्योगिक निर्माण का काम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कहलगांव में हो रहा है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1800 करोड़ रुपये की योजना का है और यह 1991 के दिसम्बर महीने में 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं, इसमें 600 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सभापति महोदय, पिछले तीन, चार वर्षों से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कहलगांव में जो बड़े-बड़े ठीकेदार आये है जो बड़े-बड़े ठीकेदार है ऐसे ठीकेदारों की संख्या 24 है । उन ठीकेदारों के अंदर उप ठीकेदार और पेटी ठीकेदार हैं, ये ठीकेदार मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे ठीकेदार द्वारा मजूदरों को जो उचित सहूलियत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलता है। जब कभी भी किसी कंपनी का मजदूर अपनी मांग पेश करता है, तो किसी न किसी बहाने उसको छटनी कर दिया जाता है। पिछले दिनों कोयला कंपनी में छटनी हुआ। एक पंजाब की कंपनी वहां आयी और वह भी निर्माण के कार्य में जुटी हुई है। उसमें 385 मजदूर काम करते हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। उन लोगों ने दो महीना पहले अपना मांग पेश किया, तो 70 आदमी को छटनी कर दिया गया। जो छटनी करते हैं, उसमें कोई नियम कायदा का पालन नहीं किया जाता है। नेशालन थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कहलगांव के प्रबंधन इस कंपनी के मालिक का साथ देता है। अगर समय रहते वर्तमान श्रम मंत्री इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह से दिसम्बर 1991 में जो 200 मेगावाट बिजली में जो बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, कहलगांव सुपर थर्मल पावर में, वह विलंब हो

जायेगा और बिहार में जो बिजली की कमी है, जिसकी आपूर्ति बहुत छोटी है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कहलगांव से हो सकता है, वह विलंब हो जायेगा। सभापति महोदय, मैंने वहां की समस्या को वर्तमान श्रम मंत्री को लिखकर और उनसे अलग-अलग बातों पर बहुत बार ध्यान खींचा है। इतना ही नहीं, हमने मुख्यमंत्री से और उस समय के तत्कालीन बिजली मंत्री श्री जगदानन्द सिंह जी जो कहलगांव गये थे, उनसे भी कहा गया था, लेकिन वर्तमान मंत्री महोदय ने इसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से पुनः वर्तमान श्रम मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि अगर सचमुच में आप चाहते हैं कि मजदूरों की जिन्दगी में सुधार हो, जिससे उत्पादन बढ़े, वहां लक्ष्य पर उत्पादन शुरू हो जाय, तो वर्तमान मुख्यमंत्री एक बार कहलगांव पधारें, साथ ही रमेन्द्र बाबू तथा सबों को साथ लेकर चलें, ताकि वहां के समस्याओं का समाधान हो। सभापति महोदय, 70 छटनीग्रस्त मजदूरों को तुरत काम पर लिया जाय और उनकी समस्या का समाधान कर कहलगांव सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सरकार का जवाब

सभापति : मंत्री के रूप में माननीय मंत्री जी की पहली स्पीच है।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

श्री वरिष्ठ नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय 13 सदस्यों ने श्रम विभाग की मांग के संबंध में अपने विचार

रखे हैं। लेकिन आज की बहस में जब मैं रमेन्द्र बाबू जो श्रमिक जगत से संबंधित हैं और फिर श्री दीनानाथ पाण्डे का भाषण सुन रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ कि श्रम विभाग पर रमेन्द्र बाबू और जब टाटा के सवाल पर बहस हो रही थी और जब उसकी चर्चा दीनानाथ पाण्डे जी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि टाटा ने इनका अपमान किया। यदि संघर्ष करते हैं साथ ही किसी के खिलाफ, लड़ाई कोई व्यक्ति लड़ता है और यदि उसकी गिरफ्तारी होती है तो वह उसके क्रेडिट के खाते में जाती है, वह अपमान का कोई सूचक नहीं हो सकता है। माननीय दीनानाथ पाण्डे जी ने और भी बातें उठायी हैं और प्रश्न उठाये हैं जिनका मुझको जवाब देना है। श्रम विभाग के संबंध में अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी बात रखनी है कुछ प्रश्नों को उठाया गया है उसके संबंध में भी चर्चा करनी है। जब श्रम विभाग की मांग पर बहस होती है तो राज्य की जो आर्थिक स्थिति है सहज ही उस ओर हमारा ध्यान चला जाता है। आर्थिक स्थिति का मतलब यह है कि आर्थिक संबंधों के आधार पर श्रमिक शांति निर्भर करती है। मूल्य वृद्धि अनियमित बिजली की आपूर्ति कच्चे माल की आपूर्ति ये सारी श्रमिकों के रिश्ते और श्रमिकों की शांति बनाये रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आज बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें कई अशांति इस वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए थी क्योंकि भीषण आर्थिक स्थिति से राज्य का हर वर्ग प्रभावित है वहीं श्रमिक वर्ग भी बिहार में प्रभावित है। लेकिन मैं अपने यहां के श्रमिक वर्ग को बधाई देना चाहता हूं कि समाज के अन्य वर्गों में आर्थिक बोझ के चलते अशांति आयी लेकिन उस

रूप में श्रमिक वर्ग में जितना असंतुलन उसके बीच में आना चाहिए था बिहार में इस वर्ष के अंदर, श्रमिक शांति बनी रही। विभागीय अधिकारियों ने श्रम विभाग के अधिकारियों ने अपनी तत्परता से उनके बीच में जाकर के समझौता कराया है; यदि मैं उन सारे का उल्लेख करूंगा तो काफी समय लग सकता है। इसलिए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रमिक जगत के लोगों ने जैसी संवेदना दिखायी है, आज की जो स्थिति है उसमें उन्होंने शांति बनाये रखने का काम किया है। उनकी संवेदना को तत्परता के साथ हमारे विभाग के लोगों ने लेने का काम किया है चाहे वह न्यूनतम मजदूरी का ही सवाल क्यों न हो। जहां एक ओर संगठित वर्ग है, दूसरी ओर असंगठित वर्ग हैं जिसकी चर्चा हमारे रमेन्द्र कुमार जी ने किया था और करीब-करीब कई सार्थियों ने भी की थी। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के ऊपर भी श्रम विभाग ने बराबर ध्यान तत्परता से देने का काम किया है। श्रम तथा उनके केसेज के निष्पादन के संबंध में भी श्रम विभाग ने जो भी कार्रवाई करनी चाहिए थी मैं आंकड़ों के साथ पेश करना चाहता हूं। मैं साबित करूंगा आंकड़ों से कि हमारे श्रम न्यायालयों ने काफी तत्परता दिखायी है मामलों के निष्पादन में। श्रमिकों के हितों की रक्षा, श्रमिक शांति की स्थापना के उद्देश्य से तीन न्यायाधीकरण और 14 श्रमिक न्यायालयों की स्थापना की गयी। 28 फरवरी 90 तक 3675 मामले इन न्यायालयों में लम्बित थे। 28.2.91 तक 950 मामले इसमें दर्ज किए गए। 1 मार्च 90 से 28 फरवरी तक 842 मामले का निष्पादन हुआ यानी 28.2.91 तक 3793 मामले लंबित पाए गए। लंबित मामलों की बढ़ती हुई संख्या

को देखते हुए 90-91 में बेगुसराय तथा मोतिहारी में दो नये श्रम न्यायालयों की स्थापना की गयी। अष्टम पंचवर्षीय योजना में धनबाद और भागलपुर में भी औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है।

लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी और उसके कार्यों की समीक्षा की गयी तथा पीठासीन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन छः महीने के अंदर सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारी तत्परता यह है कि गत वर्ष निष्पादित 852 मामलों की तुलना में मार्च एवं अप्रील, 91 मात्र दो माह में ही 171 मामलों का निष्पादन किया गया है जो निश्चित रूप से प्रगति का सूचक है।

अध्यक्ष महोदय, जहां असंगठित मजदूरों के हितों का सवाल है उसके लिये न्यायालय काम कर रहे हैं। उनलोगों ने तत्परता दिखलाने का काम किया है। असंगठित क्षेत्रों की चर्चा की गयी है, उस क्षेत्र के श्रमिकों की दशा में सुधार लाने के लिये सरकार कृत संकल्प है और श्रम अधिकारियों के कार्यान्यवन से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक लाभान्वित होते हैं। न्यूनतम मजदूरी का असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिनियम लागू किया गया है। नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित थी, उनमें से 50 नियोजनों के लिये न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण माह जुलाई 90 में किया गया है। अब राज्य के किसी भी नियोजन में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 21 रुपए प्रतिदिन से कम

नहीं है, कृषि डेयरी एवं पौल्ट्रीनियोजन को छोड़कर। वर्ष 90-91 में श्रम विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत 18392 निरीक्षण किये गये और नियोजकों के विरूद्ध 305 अभियोजन दायर किये गये।

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा की चर्चा भी की गयी है जिसमें 1 लाख बेरोजगार लोगों की नौकरी देने की घोषणा की गयी थी। उसकी चर्चा इस सदन में बार-बार की गयी है। मैं एक बात सदन में गंभीरतापूर्वक अपील करते हुये करना चाहता हूं कि नौकरियां एक लाख, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी उतनी रिक्तियां बिहार में मौजूद हैं। निश्चित रूप में अभी सरकारी नौकरियों में 1 लाख लोगों को नियोजित नहीं किया जा सका है लेकिन उसकी प्रक्रियात्मक कार्रवाई जारी है। 1 लाख 4 हजार लोगों को नियोजित कर देने से बिहार के बेरोजगारों की समस्या का निदान नहीं हो सकता है। इसके लिये बड़े पैमाने पर नियोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। नियोजन यानी केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि लोगों को स्व-नियोजन की तरफ लोगों को बढ़ाने की बात करनी होगी। इसके लिये हमारे मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद की सरकार ने स्व-नियोजन की तरफ ध्यान दिया है। इसको मैं आंकड़ों से साबित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार में जो रिक्तियां हैं पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसके विरूद्ध में क्या कार्रवाई की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अंदर 71 हजार रिक्तियां हैं और उसमें 17 हजार 200 नियुक्तियां की गयी है। राज्य

सरकार के उपक्रमों में 9 हजार 556 रिक्तियां हैं जिसके विरूद्ध 1025 नियुक्तियां की गयी है। केन्द्र सरकार में 11811 रिक्तियों के विरूद्ध 963 नियुक्तियां की गयी है। केन्द्र सरकार के उपक्रम में 10 हजार 246 रिक्तियां हैं...

(शोरगुल)

निजी क्षेत्र में 9 हजार 815 रिक्तियों के विरूद्ध 3 हजार 755 लोगों की नियुक्ति की गयी है। स्थानीय निकायों में 220 नियुक्तियां की गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय, नियोजन और स्व नियोजन के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को स्व-नियोजन के तहत 14 हजार नियुक्तियां की गयी हैं। इंडस्ट्री सर्विस, बिजनेस और अन्य स्व. नियोजन में शिक्षित बेरोजगारों को 42 हजार स्व-नियोजन दिया गया है। ट्रायसम में दस हजार स्व-नियोजन दिया गया हैं जीवन बीमा के अंतर्गत 2 हजार 771 लोगों को नियोजित किया गया है। कुल मिलाकर 1 लाख 4 हजार लोगों को नियोजन और स्व-नियोजन माध्यम से नौकरी दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े तीन माह पहले के हैं। श्रम विभाग में सांकेतिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रावधान है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 30 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। कुल पेंशनधारियों की संख्या 14 लाख 72 हजार 684 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 90-91 वित्तीय वर्ष में कुल 1 अबर 2 करोड़ 16 लाख 15 हजार 100 रुपये आवंटित किया गया है। 1991-92 में 29 करोड़ 8 लाख रुपये आवंटित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 14 लाख 72 हजार पेंशनधारियों में से 4 लाख 48 हजार 466 वृद्ध हैं।

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, 71 हजार विकलांग हैं, 5 हजार 135 बंधुआ मजदूर हैं। 3 लाख 62 हजार 358 अनुसूचित जाति के हैं। इस पेंशन योजना के अंतर्गत 1 जुलाई 90 से पेंशन की राशि का बहाल की गयी है।

(शोरगुल)

अध्यक्ष महोदय, विभाग के कार्यों के संबंध में....

श्री महेन्द्र झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को यह बताने के लिये कहा जाय कि वृद्धा अवस्था पेंशन कितने लोगों को मिलता था और कितने की कटौती की गयी।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कुछ सवाल माननीय सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों के संबंध में उठाया है। बिहार के प्रवासी मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं कि बिहार से बाहर जो हमारे मजदूर गये हैं चाहे चंडीगढ़ गए हों, दिल्ली गए हों, कलकत्ता गये हों, असम गए हों, बिहार सरकार विचार कर रही है कि प्रवासी मजदूरों के कल्यण के लिये आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिये। सरकार सोच रही है कि दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में, असम में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिये कुछ न कुछ आवश्यक कदम उनके कल्याण के लिये उठावें। इस पर बिहार सरकार शीघ्र ही विचार कर कोई निर्णय लेगी।

जहां तक ई.एस.आई. अस्पताल की बात की गयी है, हमारे माननीय सदस्यों ने ई.एस.आई. अस्पताल की बात उठाई है, बिहार सरकार का विचार है, सरकार यह सोच रही है कि ई. एस.आई. अस्पताल को नये ढंग से गठित किया जाय। एक माह के बाद हमलोग बिहार के विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक कमिटी बनाने वाले हैं जिसमें वह राय देंगे कि हम ई.एस.आई. अस्पताल को नये ढंग से कैसे संवारने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, टाटा का सवाल है, टाटा के सवाल पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाविधवक्ता की राय के संबंध में पाण्डेयजी ने जो कुछ कहा, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टाटा के मामले में चाहे जिस ढंग की राय आवे अभियोजन दायर करने का तो, बिहार सरकार टाटा के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में कोताही नहीं बरतेगी, बल्कि आगे बढ़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक रमेन्द्र बाबू ने सवाल उठाया है—श्रमिक नेताओं से और श्रमिक विभाग में काम करने वाले साथियों से राय परामर्श लेनें के मामले पर तो मैं यह घोषणा कर देना चाहता हूं कि हमलोग अगले सितम्बर माह में श्रमिक नेताओं का श्रमिक प्रतिनिधियों का एक कंफ्रेंस बुला रहे हैं। उसमें तय करेंगे; उनसे सुझाव मांगेंगे कि श्रम विभाग को और अधिक कारगर बनाने के लिए आपके सुझाव क्या हैं अगर कानून में तब्दली करनी पड़ेगी तो उसके लिए अपका क्या सुझाव है, हम कैसे उसे नये ढंग से सवारने का काम करेंगे, इसपर भी हम विचार करने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक और सूचना देना चाहता हूं, आपके माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, आई.टी.आई. की चर्चा की गयी है,

आई.टी.आई. के बारे में अभी हमलोगों ने प्रबंधन से बात किया है और बी.सी.सी.एल. के पदाधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया है। हमने टाटा और बोकारो के एम.डी. से बात करने का प्रयास किया है कि जो हमारे ट्रेनिज हैं प्रशिक्षण संस्थान में, प्रशिक्षण प्राप्त कर जब वे हमारे यहां से निकले तो उनको नौकरी मिले। जो केन्द्रीय प्रतिष्ठान खड़े हैं। उनसे भी बातें करके सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे यहां से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर निकलें, उनको वहां नौकरी मिल सके।

अब मैं माननीय सदस्या, श्रीमती ज्योति जी से आग्रह करता हूं कि सरकार के जवाब के बाद आप अपनी कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति, आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहती हैं?

श्रीमती ज्योति : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने लेबर डिपार्टमेंट के बारे में अपने जो वक्तव्य दिये हैं, मैं उसके संबंध में कहना चाहूंगी कि सरकार ने खेतिहर मजदूरों के मजदूरी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यहां तक की कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में, नयी मजदूरी बढ़ाने के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा महिला श्रमिकों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में जो कुछ इन्होंने चर्चा की है, वह बहुत थोड़े शब्दों में की है, इस पर उनको व्यापक शब्दों में चर्चा करनी चाहिए थी, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। कल-कारखानों के जो छंटनीग्रस्त मजदूर हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। यहां तक कि विधान सभा और सचिवालय में 10 वर्षों से जो लेबर दैनिक मजदूरी

पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। इसकी वजह से कटौती प्रस्ताव वापस लेनें का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि,

'इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए।'

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि,

'श्रम एवं रोजगार के संबंध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 38,99,43,700) अड़तीस करोड़ निनान्यवे लाख तैतालीस हजार सात सौ) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए।'

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
यह मांग स्वीकृत हुई।

निवेदन :

अध्यक्ष : दिनांक 15.7.1991 के लिए मान्य निवेदनों की कुल संख्या-62 है। सदन की अनुमति से इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय।

सभा की बैठक मंगलवार, तिथि 16 जुलाई, 1991 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

पटना
तिथि : 15 जुलाई, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

दैनिक निबंध :

सोमवार, दिनांक 15 जुलाई, 1991 ई०

माननीय सदस्य द्वारा सूचना का दिया जाना :

माननीय सदस्य रघुनाथ झा ने सदन को सूचित किया कि आज ही रात साढ़े तीन बजे श्री प्रभुनाथ सिंह, स.वि.स. के विधायक आवास पर एक छात्र की हत्या कर दी गई है। उन्होंने विधायकों के आवास पर इस तरह से हत्या होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार से इस संबंध में वक्तव्य की भी मांग की। इस क्रम में कई माननीय सदस्यों द्वारा भी चिन्ता व्यक्त की गई एवं सरकार से वक्तव्य की मांग की गई।

माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से उक्त घटना के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए समुचित कार्रवाई करने का सदन को आश्वासन दिया।

शून्यकाल की चर्चाएं :

(क) अकाल क्षेत्र घोषित करना।

(ख) आन्दोलन की धमकी।

(ग) बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करना।

(घ) दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में।

(ङ) गन्ने की खपत की समुचित व्यवस्था,

(च) विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण।

(छ) अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सुचनाएं :

सर्वश्री राजीव प्रताप सिंह, रामजतन सिन्हा, महेन्द्र प्रसाद सिंह, जगदीश शर्मा एवं सुशील कुमार मोदी सभा सदन अलग-अलग यथा-प्रस्तुत कार्य-स्थगन, प्रस्तावों को अध्यक्ष महोदय से स्वीकार करने हेतु एक स्वर से आग्रह करने लगे।

अध्यक्ष महोदय की इजाजत से राजीव प्रताप सिंह ने सारण जिले के तरैया प्रखंड के संग्रामपुर ग्राम में अपराधकर्मियों द्वारा 12.7.91 की रात में चार व्यक्तियों की हत्या एवं लूट-पाट किए जाने से संबंधित अपनी सूचना पढ़ी।

माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करते हुए अबतक की गई कार्रवाईयों से सदन को अवगत कराया। साथ ही इस संबंध में आगे की जानेवाली कार्रवाईयों से भी सदन को अवगत कराया।

माननीय सदस्य श्री जगदीश शर्मा ने सम्पूर्ण मध्य बिहार विशेषकर जहानाबाद एवं गया जिले में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की चर्चा करते हुए इन क्षेत्रों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की।

माननीय सदस्य द्वारा उपरोक्त वर्णित समस्या पर कई माननीय सदस्यों ने एक स्वर से चिन्ता जाहिर करते हुए सरकार द्वारा इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने की मांग की।

माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में वर्षा के अभाव में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाने की चर्चा करते हुए

सरकार द्वारा संबंध में ली जानेवाली कार्रवाइयों से सदन को अवगत कराया।

सरकारी वक्तव्य :

माननीय मुख्यमंत्री, ने बिहार विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा दोहरा वेतन लिए जाने के प्रकरण पर गत 4 जुलाई, 1991 को सदन में जो वक्तव्य देने की मंशा जाहिर की थी, उसके आलोक में अध्यक्ष महोदय की इजाजत से तत्संबंधी वक्तव्य दिया।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषयों पर ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :

(1) माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति द्वारा भोजपुर जिलान्तर्गत तरारी प्रखंड के देव-सहियारा में दिनांक 22.6.91 को हुए जघन्य हत्या कांड के अपराधियों को पकड़ने एवं घटना की जांच सी.बी.आई. से कराने के संबंध में सरकार (गृह (आरक्षी) विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकारी वक्तव्य दिनांक 16. जुलाई, 1991 ई० के लिए स्थगित किया गया।

(2) माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ने इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्तमान कार्यकारी निदेशक के विरूद्ध विविध आरोपों एवं संस्थान को शीघ्र विकसित करने के संबंध में सरकार (स्वास्थ्य विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया।

इस पर सरकारी वक्तव्य दिनांक 1 जुलाई, 1991 के लिए स्थगित किया गया।

(अन्तराल)

वित्तीय कार्य : वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : श्रम और रोजगार :

प्रभारी श्रम एवं नियोजन मंत्री श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, ने श्रम और रोजगार के संबंध में मांग पेश की।

इस मांग के अन्तर्गत माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति ने राज्य सरकार की श्रम और रोजगार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त मांग एवं इसके अन्तर्गत प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया-

(1) श्री ओम प्रकाश लाल,

(इस अवसर पर सभापति, श्री इन्दर सिंह नामधारी ने आसन ग्रहण किया।)

(2) श्री लाल चन्द्र महतो,

(3) श्री दीनानाथ पांडे

(4) श्री रमेन्द्र कुमार,

(5) श्री योगेश्वर गोप

(6) श्री केदारनाथ प्रसाद

(7) श्री रामदेव वर्मा

(8) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

(9) श्री लेविन हेम्ब्रम

(10) श्रीस्वामीनाथ तिवारी

(11) श्री टेकलाल महतो

(12) श्री माधव लाल सिंह

(13) श्री बालिका राम, एवं

(14) श्री अम्बिका प्रसाद

(वाद-विवाद समाप्त)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

प्रभारी श्रम एवं नियोजन मंत्री श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के सरकारी उत्तरोपरान्त माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ एवं श्रम और रोजगार संबंधी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई।

निवेदन :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचना दी कि आज के लिए स्वीकृत 62 निवेदनों को सभा की सहमति से आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों में भेज दिया जायगा।

तदुपरान्त, सभा की बैठक, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1991 ई० के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गई।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-295 एवं 296 के अनुसार में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं एस० के० ग्राफिक्स, हवामहल, मुसल्लहपुर, पटना-6 द्वारा मुद्रित।